

स्टेट बैंक समूह का
समेकित वित्तीय विवरण
**Consolidated Financial Statements
of State Bank Group**

भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (समेकित) तुलनपत्र
STATE BANK OF INDIA (CONSOLIDATED) BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2010 (000 को छोड़ दिया गया है)
(Rs. in thousand)

पूंजी और देयताएँ	अनुसूची सं.	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)
CAPITAL AND LIABILITIES		रु. Rs	रु. Rs
पूंजी Capital	1	634,88,26	634,88,02
आरक्षितियाँ और अधिशेष Reserves & Surplus	2	82500,69,85	71755,51,31
अल्पांश हित Minority Interest	2A	2631,27,33	2228,27,31
जमा राशियाँ Deposits	3	1116464,56,45	1011988,32,63
उधार Borrowings	4	122074,57,20	105257,44,43
अन्य देयताएँ और प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	125837,97,46	112961,30,37
	योग TOTAL	1450143,96,55	1304825,74,07
आस्तियाँ	अनुसूची सं.	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)
ASSETS		रु. Rs.	रु. Rs.
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	82195,58,06	74161,06,66
बैंकों में जमा राशियाँ और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन Balances with banks and money at call and short notice	7	39653,41,87	51100,62,90
विनिधान Investments	8	402754,13,26	372231,44,86
अग्रिम Advances	9	869501,64,21	750362,38,45
अचल आस्तियाँ Fixed Assets	10	6013,89,24	5223,47,75
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	50025,29,91	51746,73,45
	योग TOTAL	1450143,96,55	1304825,74,07
समाश्रित देयताएँ Contingent Liabilities	12	697295,12,04	860686,08,21
संग्रहण के लिए बिल Bills for Collection		56491,42,87	49938,35,27
प्रमुख लेखा नीतियाँ / Principal Accounting Policies	17		
लेखा-टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	18		

अनुसूची 1 — पूंजी
SCHEDULE 1 — CAPITAL
(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current year)	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
प्राधिकृत पूंजी - 10/- रुपए प्रति शेयर वाले 100,00,00,000 शेयर Authorised Capital - 100,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each	1000,00,00	1000,00,00
निर्गमित पूंजी - 63,49,68,500 (पिछले वर्ष 63,49,68,500) प्रत्येक इक्विटी शेयर रु. 10/- का Issued Capital - 63,49,68,500 (Previous Year 63,49,68,500) Equity Shares of Rs.10/- each	634,96,85	634,96,85
अभिदत्त और संदत्त पूंजी - 63,48,82,644 शेयर (पिछले वर्ष 63,48,80,222) प्रत्येक शेयर रु. 10/- का [इसमें 2,24,86,090 (31.3.09 को 2,71,28,722) शेयर सम्मिलित हैं जो 1,12,43,045 (31.03.09 को 1,35,64,361) वैश्विक जमा रसीदों के रूप में हैं] Subscribed and Paid up Capital - 63,48,82,644 (previous year 63,48,80,222) equity shares of Rs.10/- each [includes 2,24,86,090 (2,71,28,722 as on 31.3.09) equity shares represented by 1,12,43,045 (1,35,64,361 as on 31.03.09) Global Depository Receipts	634,88,26	634,88,02
योग / TOTAL	634,88,26	634,88,02

अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष
SCHEDULE 2 — RESERVES & SURPLUS
(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)		31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)	
	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
I. कानूनी आरक्षितियाँ Statutory Reserves				
अधिशेष				
Opening Balance	36281,51,06	30282,32,41
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	7203,39,29	5999,18,65
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	41,64,99	—
		43443,25,36	—	36281,51,06
II. पूंजी आरक्षितियाँ Capital Reserves #				
अधिशेष				
Opening Balance	1830,57,48	806,20,67
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	197,64,75	1024,36,81
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	—	—
		2028,22,23	—	1830,57,48
III. शेयर प्रीमियम Share Premium				
अधिशेष				
Opening Balance	20657,92,52	20098,96,75
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	38,26	560,16,95
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	—	—
		20658,30,78	1,21,18	20657,92,52

समेकन पर रु. 164,08,17 हजार (पिछले वर्ष रु. 164,08,17 हजार) पूंजी आरक्षित शामिल है।

includes Capital Reserve on consolidation Rs. 164,08,17 thousand (Previous Year Rs. 164,08,17 thousand)

अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष (जारी)

SCHEDULE 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)		31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)	
	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
IV. विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षितियाँ Forex Translation Reserve				
अथशेष				
Opening Balance	...	1747,68,73	216,70,38	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	...	—	1530,98,35	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	...	984,20,95	—	1747,68,73
V. आय और अन्य आरक्षितियाँ Revenue and Other Reserves				
अथशेष				
Opening Balance	...	11021,81,84	9050,78,96	
वर्ष के दौरान परिवर्धन## Additions during the year##	...	4551,62,19	1995,31,99	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	...	24,58,48	15548,85,55	24,29,11
VI. लाभ और हानि खाते में शेष Balance in Profit and Loss Account	...	58,58,15		215,99,68
योग TOTAL		82500,69,85		71755,51,31
## समेकन समायोजनों को घटाकर ## net of consolidation adjustments				

अनुसूची 2 क — अल्पांश हित

SCHEDULE 2A — MINORITY INTEREST

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)		31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)	
	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
शेयर पूंजी Share Capital	...	881,90,50	732,88,49	
आरक्षितियाँ एवं अधिशेष Reserves & Surplus	...	1749,36,83	1495,38,82	
योग TOTAL		2631,27,33		2228,27,31

अनुसूची 3 — निक्षेप
SCHEDULE 3 — DEPOSITS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
क. I. मांग निक्षेप		
A. I. Demand Deposits		
(i) बैंकों से From Banks	10616,33,47	12586,57,54
(ii) अन्य से From Others	134448,95,74	119487,87,68
II. बचत बैंक निक्षेप		
Savings Bank Deposits	331152,60,88	257008,50,77
III. सावधि निक्षेप		
Term Deposits		
(i) बैंकों से From Banks	18592,81,80	12600,45,27
(ii) अन्य से From Others	621653,84,56	610304,91,37
योग TOTAL	1116464,56,45	1011988,32,63
ख. (i) भारत स्थित शाखाओं के निक्षेप		
B. Deposits of Branches in India	1065604,63,57	972058,23,40
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप		
Deposits of Branches outside India...	50859,92,88	39930,09,23

अनुसूची 4 — उधार
SCHEDULE 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. भारत में उधार		
Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	—	700,00,00
(ii) अन्य बैंक Other Banks	10011,21,92	2979,59,20
(iii) अन्य संस्थाएँ और अधिकरण Other Institutions and Agencies	4835,96,80	9000,74,75
(iv) नवोन्मेषी चिरस्थायी ऋण लिखत Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)...	3695,00,00	1175,15,31
(v) गौण ऋण एवं बांड Subordinated Debts & Bonds	37313,30,40	36320,80,00
(vi) विमोच्च संचयी अधिमान शेयर Redeemable Cumulative Preference Shares...	10,00,00	10,00,00
II. भारत के बाहर से उधार		
Borrowings outside India		
(i) भारत के बाहर से उधार एवं पुनर्वित्त Borrowing and Refinance outside India ...	63403,12,22	51901,30,48
(ii) नवोन्मेषी चिरस्थायी ऋण लिखत Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)...	2805,95,86	3169,84,69
योग TOTAL (I और II)	122074,57,20	105257,44,43
ऊपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured Borrowings included in I & II above	7061,96,88	4467,81,12

अनुसूची 5 — अन्य दायित्व और प्रावधान

SCHEDULE 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. संदेय बिल Bills payable	26354,35,78	24105,02,03
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office adjustments (net)	11831,52,32	5847,80,01
III. प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	9471,42,26	10135,91,51
IV. आस्थगित कर दायित्व Deferred Tax Liabilities (net)	14,82	8,78
V. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) Others (including provisions)	78180,52,28	72872,48,04
योग TOTAL	125837,97,46	112961,30,37

अनुसूची 6 — नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ

SCHEDULE 6 — CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	8657,22,06	5462,49,27
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खाते में In Current Account	73535,83,97	68696,06,06
(ii) अन्य खातों में In Other Accounts	2,52,03	2,51,33
योग TOTAL	82195,58,06	74161,06,66

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाराशियाँ और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE 7 — BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. भारत में		
In India		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ Balances with banks		
(क) चालू खाते में (a) In Current Account	1471,68,55	1048,94,28
(ख) अन्य जमा खातों में (b) In Other Deposit Accounts	12215,50,97	11536,11,88
(ii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
(क) बैंकों में (a) With banks	75,40,03	13146,16,18
(ख) अन्य संस्थाओं में (b) With Other Institutions	1998,70,97	—
योग TOTAL	15761,30,52	25731,22,34
II. भारत के बाहर		
Outside India		
(i) चालू खाते में In Current Account	17562,08,04	14615,30,56
(ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	949,60,94	1760,24,73
(iii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice	5380,42,37	8993,85,27
योग TOTAL	23892,11,35	25369,40,56
कुल योग GRAND TOTAL (I और II)	39653,41,87	51100,62,90

अनुसूची 8 — विनिधान
SCHEDULE 8 — INVESTMENTS
(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. भारत में विनिधान Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	315092,12,89	304371,93,75
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	2860,25,92	3316,19,62
(iii) शेयर Shares	20069,42,74	10357,40,94
(iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	24423,62,87	19485,33,17
(v) अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint Ventures	—	—
(vi) सहयोगी Associates	804,02,43	1104,29,77
(vii) अन्य (यूनिट्स आदि) Others (Units, etc.)	30743,05,42	26597,43,89
योग TOTAL	393992,52,27	365232,61,14
II. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियों में (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं) Government Securities (including local authorities)	3283,43,72	2131,82,66
(ii) विदेश स्थित अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint Ventures abroad	—	—
(iii) सहयोगी Associates	40,86,84	73,95,05
(iv) अन्य (शेयर, डिबेंचर आदि) Other Investments (Shares, Debentures, etc.)	5437,30,43	4793,06,01
योग TOTAL	8761,60,99	6998,83,72
कुल योग GRAND TOTAL (I और II)	402754,13,26	372231,44,86
III. भारत में विनिधान Investments in India in		
(i) विनिधानों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	397032,07,31	367437,74,29
(ii) मूल्यह्रास के लिए कुल प्रावधान Aggregate of Provisions for Depreciation	3039,55,04	2205,13,15
(iii) निवल विनिधान (ऊपर I से) Net Investments (vide I above)	393992,52,27	365232,61,14
IV. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India in		
(i) विनिधानों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	8962,03,55	7333,18,85
(ii) मूल्यह्रास के लिए कुल प्रावधान Aggregate of Provisions for Depreciation	200,42,56	334,35,13
(iii) निवल विनिधान (ऊपर II से) Net Investments (vide II above)	8761,60,99	6998,83,72
कुल योग GRAND TOTAL (III और IV)	402754,13,26	372231,44,86

अनुसूची 9 — अग्रिम

SCHEDULE 9 — ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)
		रु. Rs.	रु. Rs.
क. (I)	क्रय किए गए और मित्रीकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र		
A.	Bills purchased and discounted	55186,74,14	59174,92,19
(II)	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार		
	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	361214,81,72	300353,42,44
(III)	सावधि ऋण		
	Term loans	453100,08,35	390834,03,82
	योग TOTAL	869501,64,21	750362,38,45
ख. (I)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों से संबंधित अग्रिमों सहित)		
B.	Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	605877,86,90	517483,82,61
(II)	बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank / Government Guarantees	91097,92,97	84908,70,99
(III)	अप्रतिभूत Unsecured	172525,84,34	147969,84,85
	योग TOTAL	869501,64,21	750362,38,45
ग. (I)	भारत में अग्रिम		
C.	Advances in India		
(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	250905,19,65	213187,15,33
(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	63561,19,76	45157,49,19
(iii)	बैंक Banks	1245,95,20	1357,92,62
(iv)	अन्य Others	450145,44,82	399071,89,13
	योग TOTAL	765857,79,43	658774,46,27
(II)	भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India		
(i)	बैंकों से शोध्य Due from banks	15661,39,86	4357,88,70
(ii)	अन्यों से शोध्य Due from others		
(क)	क्रय किए गए और मित्रीकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र		
(a)	Bills purchased and discounted	25432,28,35	29454,85,00
(ख)	अभिषद उधार (b) Syndicated loans	28109,68,23	28537,20,01
(ग)	अन्य		
(c)	Others	34440,48,34	29237,98,47
	योग TOTAL	103643,84,78	91587,92,18
	कुल योग GRAND TOTAL (ग C.I और ग C.II)	869501,64,21	750362,38,45

अनुसूची 10 — स्थिर आस्तियाँ
SCHEDULE 10 — FIXED ASSETS
(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)		31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)	
	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
I. क. परिसर Premises				
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	2134,12,97	2020,16,22
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	137,50,16	115,44,78
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	7,40,40	1,48,03
अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date	896,26,56	1367,96,17
			799,97,91	1334,15,06
II. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	10838,09,70	9526,84,04
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	1922,68,12	1421,52,17
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	114,32,96	110,26,51
अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date	8486,73,68	4159,71,18
			7240,58,35	3597,51,35
III. क. पट्टाकृत आस्तियाँ Leased Assets				
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1091,73,13	1104,41,79
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	—	—
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	115,45,30	12,68,66
प्रावधानों सहित अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date including provisions	971,30,75	1083,79,61
			4,97,08	7,93,52
घटाएँ: पट्टा समायोजन और प्रावधान Less: Lease adjustment and provisions			4,77,89	19,19
			2,93,24	5,00,28
IV. निर्माणाधीन आस्तियाँ Assets under Construction	486,02,70	286,81,06
योग TOTAL			6013,89,24	5223,47,75

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 — OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
(i) अंतर-बैंक समायोजन (निवल) Inter Bank adjustments	5,93,06	15,15
(ii) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office adjustments (net)	1784,13,90	3475,61,14
(iii) प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	10647,51,07	9563,38,80
(iv) अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	5907,28,97	5504,25,48
(v) लेखन-सामग्री और स्टॉप Stationery and stamps	158,00,96	122,99,35
(vi) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	20,43,65	10,13,46
(vii) आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred tax asset (net)	3433,72,04	2008,08,98
(viii) अन्य Others #	28068,26,26	31062,11,09
योग TOTAL	50025,29,91	51746,73,45

समेकन आधार पर साख रु. 768,52.56 हजार शामिल है (पिछले वर्ष रु. 610,14.42 हजार)

Includes Goodwill on consolidation Rs. 768,52,56 thousand (P. Y. Rs. 610,14,42 thousand)

अनुसूची 12 — समाश्रित दायित्व
SCHEDULE 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2010 (Current Year)	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2009 (Previous Year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए बैंक के विरुद्ध दावे Claims against the bank not acknowledged as debts	1045,19,90	2554,83,30
II. अंशतः संदत्त विनिधानों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	3,11,88	3,11,88
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts	352036,36,51	391348,20,03
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	81165,35,89	61860,94,46
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	37244,70,30	27187,75,11
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ Acceptances, endorsements and other obligations	140616,70,35	125739,26,06
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी हैं Other items for which the banks are contingently liable ...	85183,67,21	251991,97,37
योग TOTAL	697295,12,04	860686,08,21
संग्रहण के लिए बिल Bills for collection	56491,42,87	49938,35,27

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
		रु. Rs.	रु. Rs.
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	...	100080,73,19	91667,01,54
अन्य आय Other Income	...	33771,09,50	21426,08,43
योग TOTAL		133851,82,69	113093,09,97
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	...	66637,50,87	62626,46,55
प्रचालन व्यय Operating expenses	...	42415,39,44	26571,72,02
प्रावधान और आकस्मिक व्यय Provisions and contingencies	...	12785,28,54	12721,84,79
योग TOTAL		121838,18,85	101920,03,36
III. लाभ PROFIT			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year	...	12013,63,84	11173,06,61
घटाएं : अल्पांश हित Less: Minority Interest	...	279,80,61	217,77,95
समूह लाभ Group Profit	...	11733,83,23	10955,28,66
जोड़ें : समूह को देय अग्रणीत लाभ Add: Brought forward Profit attributable to the group	...	215,99,68	87,74,19
योग TOTAL		11949,82,91	11043,02,85
विनियोजन APPROPRIATIONS			
कानूनी आरक्षितियों को अंतरण Transfer to Statutory Reserves	...	7153,61,49	5986,94,49
अन्य आरक्षितियों को अंतरण Transfer to Other Reserves	...	2511,47,09	2689,27,66
लाभांश Dividend	...	1904,64,79	1841,15,26
लाभांश पर कर Tax on Dividend	...	321,51,39	309,65,76
अतिशेष जो तुलनपत्र में आगे ले जाया गया है Balance carried over to Balance Sheet	...	58,58,15	215,99,68
योग TOTAL		11949,82,91	11043,02,85
प्रति शेयर मूल आय / Basic earnings per share		Rs. 184.82	Rs. 172.68
प्रति शेयर न्यूनीकृत आय / Diluted earnings per share		Rs. 184.82	Rs. 172.68
प्रमुख लेखा नीतियाँ / Principal Accounting Policies	...	17	
लेखा-टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	...	18	

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज

SCHEDULE 13 — INTEREST EARNED

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. अग्रिमों/विनिमय पत्रों पर ब्याज/मितीकाटा Interest/discount on advances/bills	72298,73,90	67285,11,86
II. विनिधानों पर आय Income on investments	24614,07,39	22079,30,66
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	1826,54,18	1708,73,56
IV. अन्य Others	1341,37,72	593,85,46
योग TOTAL	100080,73,19	91667,01,54

अनुसूची 14 — अन्य आय

SCHEDULE 14 — OTHER INCOME

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	11858,71,93	9722,27,84
II. विनिधानों के विक्रय पर लाभ (निवल) Profit on sale of investments (Net)	4930,43,83	1758,03,89
III. विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल) Profit on revaluation of investments (Net)	3022,98,14	(629,25,09)
IV. पट्टाकृत आस्तियों सहित भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) Profit on sale of land, buildings and other assets including leased assets (Net)	(9,94,81)	(4,20,67)
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल) Profit on exchange transactions (Net)	1866,60,70	1460,73,34
VI. भारत/विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश Dividends from Associates in India/abroad	15,08,77	13,10,43
VII. वित्तीय पट्टों से आय Income from financial Lease	10,41,72	31,38,72
VIII. क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क Credit card membership/service fees	191,09,14	266,86,43
IX. जीवन बीमा प्रीमियम Life Insurance Premium	9920,39,38	7202,38,85
X. सहयोगियों से आय का हिस्सा Share of earnings from associates	214,43,49	(13,64,06)
XI. विविध आय Miscellaneous Income	1750,87,21	1618,38,75
योग TOTAL	33771,09,50	21426,08,43

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज

SCHEDULE 15 — INTEREST EXPENDED

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. निक्षेपों पर ब्याज Interest on deposits	61080,61,30	55422,48,03
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	1405,98,91	3116,10,37
III. अन्य Others	4150,90,66	4087,88,15
योग TOTAL	66637,50,87	62626,46,55

अनुसूची 16 — प्रचालन व्यय

SCHEDULE 16 — OPERATING EXPENSES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	16331,06,44	12997,19,40
II. भाटक, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	2136,15,35	1780,92,54
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री Printing and stationery	313,00,59	303,44,90
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	337,72,66	336,76,05
V. (क) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास (a) Depreciation on Leased Assets	4,23,71	25,86,74
(ख) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त) (b) Depreciation on Bank's property (Other than Leased Assets)	1317,32,76	898,59,44
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	8,10,41	5,59,52
VII. लेखा-परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	173,78,88	162,25,44
VIII. विधि प्रभार Law charges	129,80,19	101,42,14
IX. डाक महसूल, तार और टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones, etc.	408,54,22	361,09,96
X. मरम्मत और अनुसंधान Repairs and maintenance	415,85,45	239,51,20
XI. बीमा Insurance	940,66,25	770,68,21
XII. आस्थगित आय व्यय का परिशोधन Amortization of deferred revenue expenditure	6,90,26	5,83,24
XIII. क्रेडिट कार्ड प्रचालन से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses relating to Credit Card operations...	231,90,39	176,17,52
XIV. जीवन बीमा से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses relating to Life Insurance	14171,28,75	4638,63,45
XV. अन्य व्यय Other expenditure	5489,03,13	3767,72,27
योग TOTAL	42415,39,44	26571,72,02

**अनुसूची 17****प्रमुख लेखाकरण नीतियाँ :****क. तैयार करने का आधार :**

संलग्न वित्तीय विवरण अवधिगत लागत आधार पर, डेरीवेटिव्स और विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए यथा आशोधित, जैसा कि नीचे भाग “ग” में वर्णित है, तैयार किए गए हैं। वे भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण-सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं और इनमें विनियामक प्राधिकरणों, भारतीय रिज़र्व बैंक, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम 1956 के सांविधिक प्रावधान, दिशा निर्देश, लेखा मानक/भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियाँ और भारत में प्रचलित प्रथाएँ शामिल हैं।

प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और यथोचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं। लेखाकरण प्राक्कलनों में किसी संशोधन का वर्तमान और भविष्यगत अवधियों के लिए भविष्यलक्षी प्रभाव से अभिज्ञान किया गया है।

ख. समेकन का आधार:

समूह (जिसमें 29 अनुषंगियाँ, 6 संयुक्त उद्यम और 26 सहयोगी शामिल हैं) के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

क. भारतीय स्टेट बैंक के लेखा परीक्षित खाते (मूल कंपनी)।

ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा “समेकित वित्तीय विवरण” के लिए जारी लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंतः समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, गैर वस्तुीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का मूल (मूल कंपनी) की इन्हीं मर्दों से क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।

ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के “संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना से संबंधित लेखा मानक-27 के अनुसार “समानुपातिक समेकन” किया गया है।

घ. “सहयोगियों” में किए गए निवेश का लेखाकरण “इंक्विटी-पद्धति” के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के “समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इंक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूँजी आरक्षित के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

क. जिस तिथि को किसी अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की इंक्विटी-राशि. और

ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के संबंध स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (इंक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।

ग. प्रमुख लेखा नीतियाँ**1. आय निर्धारण**

1.1 निम्नांकित को छोड़कर आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है. बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है, जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

SCHEDULE 17**PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES:****A. Basis of Preparation:**

The accompanying financial statements have been prepared under the historical cost convention as modified for derivatives and foreign currency transactions, as enumerated in Part C below. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise of statutory provisions, guidelines of regulatory authorities, Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act 1956, Accounting Standards (AS)/Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevalent accounting practices in India.

Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods.

B. Basis of Consolidation:

1. Consolidated financial statements of the Group (**comprising of 29 subsidiaries, 6 Joint Ventures and 26 Associates**) have been prepared on the basis of:

- Audited accounts of State Bank of India (Parent).
- Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealised profit/loss, and making necessary adjustments wherever required for non-uniform accounting policies as per AS 21 “Consolidated Financial Statements” issued by the ICAI.
- Consolidation of Joint Ventures – ‘Proportionate Consolidation’ as per AS 27 “Financial Reporting of Interests in Joint Ventures” of the ICAI.
- Accounting for investment in ‘Associates’ under the ‘Equity Method’ as per AS 23 “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements” of the ICAI.

2. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group’s portion of the equity of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill / capital reserve.

3. Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

- The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and
- The minority share of movements in revenue reserves/loss (equity) since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

C. PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES**1. Revenue recognition**

1.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated below. In respect of foreign entities, income is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign entities are located.





- 1.2 निम्नलिखित को छोड़कर लाभ और हानि खाते में निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है (i) अग्रिमों, पट्टों और विनिधानों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक / संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहलाएंगे) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) विनिधानों की आवेदन-राशि पर ब्याज, (iii) विनिधानों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iv) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय “ट्रेडिंग” के रूप में नामित।
- 1.3 विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ / हानि को “विनिधानों की बिक्री पर लाभ/हानि” खाते में जमा/नामे किया गया है और उसके पश्चात् “परिपक्वता के लिए रखे गए” श्रेणी के विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों को घटाने के बाद) पूँजी आरक्षित खाते में समायोजित किया गया है। बिक्री पर हुई हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाएगा।
- 1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे पर बकाया निवल विनिधान के पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिधान के समान राशि के अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टा किराओं का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्ध बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल विनिधान राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।
- 1.5 “परिपक्वता के लिए रखे गए” श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नानुसार अभिज्ञान में लिया गया है :
- ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ में इसे बिक्री / शोधन के समय अभिज्ञान में लिया गया है।
 - शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।
- 1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध होता है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।
- 1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया गया है। इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है।

1.8 गैर-बैंकिंग इकाइयां

मर्चेन्ट बैंकिंग:

- ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क को शामिल किया गया है।
- सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी नियोजन शुल्क को शामिल किया गया है।
- सार्वजनिक निर्गम से संबंधित हामीदारी-कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आबंटन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात लेखे में लिया गया है।
- सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को-ग्राहक/बिचौलियों से संग्रहण/सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।
- शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टाम्प शुल्क एवं लेनदेन व्यय शामिल हैं।

- 1.2 Interest income is recognised in the Profit and Loss Account as it accrues except (i) income from non-performing assets (NPAs), comprising of advances, leases and investments, which is recognised upon realisation, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities), (ii) interest on application money on investments (iii) overdue interest on investments and bills discounted, (iv) Income on Rupee Derivatives designated as “Trading”
- 1.3 Profit / Loss on sale of investments is credited / debited to Profit and Loss Account (Sale of Investments). Profit on sale of investments in the ‘Held to Maturity’ category shall be appropriated net of applicable taxes to ‘Capital Reserve Account’. Loss on sale will be recognised in the Profit and Loss Account.
- 1.4 Income from finance leases is calculated by applying the interest rate implicit in the lease to the net investment outstanding on the lease, over the primary lease period. Leases effective from April 1, 2001 are accounted as advances at an amount equal to the net investment in the lease. The lease rentals are apportioned between principal and finance income based on a pattern reflecting a constant periodic return on the net investment outstanding in respect of finance leases. The principal amount is utilized for reduction in balance of net investment in lease and finance income is reported as interest income.
- 1.5 Income (other than interest) on investments in “Held to Maturity” (HTM) category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows :
- On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
 - On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.
- 1.6 Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.
- 1.7 All other commission and fee incomes are recognised on their realisation except for (i) Guarantee commission on deferred payment guarantees, which is spread over the period of the guarantee and (ii) Commission on Government Business, which is recognised as it accrues.

1.8 Non-banking entities

Merchant Banking:

- Issue management and advisory fees are recognised as per the terms of agreement with the client.
- Fees for private placement are recognised on completion of assignment.
- Underwriting commission relating to public issues is accounted for on finalisation of allotment of the public issue.
- Brokerage income relating to public issues/ mutual fund/other securities is accounted for based on mobilisation and intimation received from clients/intermediaries.
- Brokerage income in relation to stock broking activity is recognized on the trade date of transactions and includes stamp duty and transaction charges.



**आस्ति प्रबंधन:**

- क. संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को अभिज्ञान में लिया गया है। इन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है (इसमें जहाँ लागू हो अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को नहीं शामिल किया गया है।) और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।
- ख. संविदा शर्तों के अनुसार, संविभाग सलाहकार सेवाओं से प्राप्त आय को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।
- ग. प्रत्याभूत घाटा-योजनाओं से होने वाली वसूली जिसे पहले व्यय माना गया था. को प्राप्त के वर्ष में आय के रूप में माना गया है।
- घ. योजना व्यय: निर्धारित दर से अधिक योजना व्ययों को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
- ङ. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेश की वसूली प्राप्त आधार पर लेखे में ली गई है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

- क. सदस्यता ग्रहण शुल्क तथा प्रथम वार्षिक शुल्क को एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है क्योंकि यह ज्यादा सटीक ढंग से उस अवधि को दर्शाती है, जिससे शुल्क संबंधित है।
- ख. इंटरचेंज आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- ग. सभी अन्य सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए जाते हैं।

फैक्टरिंग :

अनर्जक परिसंपत्तियों, जहाँ वसूली होने पर आय को हिसाब में लिया जाता है, के मामले को छोड़कर फैक्टरिंग सेवा शुल्कों को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है। कंपनी द्वारा फैक्टरिंग/वित्तीयन सीमाओं की स्वीकृति के बाद प्रक्रिया शुल्क प्रोद्भूत होते हैं।

जीवन बीमा:

- क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, जीवन बीमा प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनःप्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है। लिंकड व्यवसाय के मामले में एसोसिएटेड इकाइयों के आबंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है।
- ख. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।
- ग. मृत्यु से संबंधित जीवन बीमा दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। वर्ष के अंत तक की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है। परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है। वार्षिक लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं। अभ्यर्णों को अधिसूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। जहाँ प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं। पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।
- घ. कमीशन जैसे अभिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अभिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

Asset Management:

- a. Management fee is recognised at specific rates agreed with the relevant schemes, applied on the average daily net assets of each scheme (excluding inter-scheme investments, where applicable, and investments made by the company in the respective scheme) and are in conformity with the limits specified under SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.
- b. Portfolio Advisory Service income is recognised on accrual basis as per the terms of the contract.
- c. Recovery from guaranteed schemes of deficit earlier recognised as expense is recognised as income in the year of receipt.
- d. Scheme Expenses: Expenses of schemes in excess of the stipulated rates are charged to the Profit and Loss Account.
- e. Recovery, if any, on realisation of devolved investments of schemes acquired by the company in terms of right of subrogation is accounted on the basis of receipts.

Credit Card Operations:

- a. Joining membership fee and first annual fee have been recognised over a period of one year as they more closely reflects the period to which the fee relate to.
- b. Interchange income is recognised on accrual basis.
- c. All other service fees are recorded at the time of occurrence of the respective transaction.

Factoring:

Factoring service charges are accounted on accrual basis except in the case of non-performing assets, where income is accounted on realisation. Processing charges are accrued upon acceptance of sanction of the factoring /financing limits by the Company.

Life Insurance:

- a. Premium (net of service tax) is recognized as income when due from policyholders. Uncollected premium from lapsed policies is not recognised as income until such policies are revived. In respect of linked business, premium income is recognised when the associated units are allotted.
- b. Premium ceded on reinsurance is accounted in accordance with the terms of the treaty or in-principle arrangement with the Re-Insurer.
- c. Claims by death are accounted when intimated. Intimations upto the end of the year are considered for accounting of such claims. Claims by maturity are accounted on the policy maturity date. Annuity benefits are accounted when due. Surrenders are accounted as and when notified. Claims cost consist of the policy benefit amounts and claims settlement costs, where applicable. Amounts recoverable from re-insurers are accounted for in the same period as the related claims and are reduced from claims.
- d. Acquisition costs such as commission; medical fees etc. are costs that are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts and are expensed as and when incurred.





- ड. बीमा पालिसियों के लिए देयता : सभी जीवन बीमा पालिसियों की बीमांकिक देयता की गणना- इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चूअरीज ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार -नियुक्त किए गए एक्चूअरी द्वारा की जाती है।

पेंशन निधि परिचालन :

- क. प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आइएमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में निर्दिष्ट सहमत दरों पर प्रोद्भूत आधार पर शामिल किया गया है। जहाँ कहीं सेवा कर की वसूली की गई, वहाँ उसे आय में सेवा कर को शामिल नहीं किया गया है।
- ख. विनिधानों की बिक्री पर लाभ / हानि को लेनदेन तिथि आधार पर शामिल किया गया है।

म्यूचुअल फण्ड न्यासी परिचालन :

न्यासधारिता शुल्कों / प्रबंधन शुल्कों को कंपनियों के बीच हुई संविदा की संबंधित शर्तों के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर शामिल किया गया है।

2. विनिधान

विनिधानों को वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है। बैंक अपने विनिधानों को लेखे में लेने के लिए व्यवसाय-तिथि पद्धति अपनाता है।

2.1 वर्गीकरण

विनिधानों का 3 श्रेणियों यथा - 'परिपक्वता के लिए रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' और 'व्यवसाय के लिए रखे गए' (इसके पश्चात् इन्हें श्रेणियाँ कहा जाएगा) में वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत विनिधानों को पुनः निम्नानुसार छह समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

- सरकारी प्रतिभूतियाँ,
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
- शेयर,
- डिबेंचर और बांड,
- अनुषंगी/संयुक्त उद्यम तथा
- अन्य

2.2 वर्गीकरण का आधार :

- उन विनिधानों को 'परिपक्वता के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है।
- उन विनिधानों को 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांततः पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है।
- जिन विनिधानों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- किसी विनिधान को इसके क्रय के समय 'परिपक्वता के लिए रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' या 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात् श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

2.3 मूल्यन :

- किसी विनिधान की अभिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में :
 - अभिदानों पर प्राप्त दलाली / कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।
 - विनिधानों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।
 - ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय मद के रूप में माना गया है और इन्हें लागत/बिक्री प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

- Liability for life policies: The actuarial liability of all the life insurance policies has been calculated by the appointed actuary as per the guidelines prescribed by the Institute of Actuaries of India.

Pension Fund Operation:

- Management fees is recognized at specified rates agreed with the relevant schemes calculated as per the Investment Management Agreement (IMA) entered into between the Company and NPS Trustees, on accrual basis. Revenue excludes Service Tax, wherever recovered.
- Profit/loss on sale of investments is recognized on trade date basis.

Mutual Fund Trustee Operation:

Trusteeship fees / management fees are recognised on an accrual basis in accordance with the respective terms of contract between the Companies.

2. Investments

Investments are accounted for in accordance with the extant regulatory guidelines. The bank follows trade date method for accounting of its investments.

2.1 Classification

Investments are classified into 3 categories, viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading categories (hereafter called categories). Under each of these categories, investments are further classified into the following six groups:

- Government Securities,
- Other Approved Securities,
- Shares,
- Debentures and Bonds,
- Subsidiaries/Joint ventures and
- Others.

2.2 Basis of classification:

- Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
- Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
- An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

2.3 Valuation:

- In determining the acquisition cost of an investment:
 - Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost.
 - Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.
 - Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from the cost/sale consideration.





- घ लागत का निर्धारण भारत और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार किया गया है।
- ङ उपरोक्त तीन श्रेणियों में प्रतिभूति के अंतरण को अंतरण की तिथि पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के अनुसार लेखे में लिया गया है, और ऐसे अंतरण पर हुए मूल्यहास, यदि हो तो, का प्रावधान किया गया है।
- ii. राजस्व बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य अग्रणीत व्यय आधार पर किया गया है।
- iii. 'परिपक्वता के लिए रखे गए' श्रेणी : 'परिपक्वता के लिए रखे गए' प्रत्येक स्क्रिप को अभिग्रहण लागत पर लिया गया है और यदि उसे अंकित मूल्य पर अभिग्रहीत किया गया है तो उसे परिशोधित लागत पर लिया गया है। किसी अभिग्रहीत प्रीमियम को नियत आय आधार पर प्रतिभूति की बची हुई परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को 'विनिधानों पर ब्याज' शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। अस्थायी के अतिरिक्त हास के लिए प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लिए गए विनिधानों का मूल्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 23 के अनुसार इक्विटी लागत पर किया गया है।
- iv. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखी गई श्रेणियाँ : उपरोक्त दोनों श्रेणियों के प्रत्येक स्क्रिप का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह के निवल मूल्यहास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यहास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात अपरिवर्तित रहा है।
- v. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) लिखतों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तदनुसार, उन मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आर्बिट्रि वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, वहाँ निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे विनिधानों के मूल्यन के लिए की गई है।
- vi. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर विनिधानों को अनर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के विनिधान निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं :
- क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।
- ख. इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों को रु. 1 प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक विनिधान माना जाएगा।
- ग. यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक - बही में अनर्जक आस्ति हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा विनिधान को अनर्जक विनिधान माना जाएगा।
- घ. उपर्युक्त, शर्त आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन प्रिफरेंस शेयरों पर भी लागू होगी, जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।
- d. Cost is determined on the weighted average cost method.
- e. The transfer of a security amongst the above three categories is accounted for at the least of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- ii. Treasury Bills and Commercial Papers are valued at **carrying cost**.
- iii. **Held to Maturity category:** Each scrip under Held to Maturity category is carried at its acquisition cost or at amortised cost, if acquired at a premium over the face value. Any premium on acquisition is amortised over the remaining maturity period of the security on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments". A provision is made for diminution, other than temporary. Investments in Regional Rural Banks (RRBs) are valued at equity cost determined in accordance with AS 23 of the ICAI.
- iv. **Available for Sale and Held for Trading categories:** Each scrip in the above two categories is revalued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines, and only the net depreciation of each group for each category is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.
- v. Security receipts issued by an asset reconstruction company (ARC) are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the security receipts issued by the ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the ARC, is reckoned for valuation of such investments.
- vi. Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign entities. Investments of domestic offices become non performing where:
- a. Interest/instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- b. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.
- c. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa.
- d. The above would apply mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.





- ड. ऐसे डिबेंचरों / बांडों में विनिधान जिन्हें अग्रिम की प्रकृति के विनिधान माना जाता है, उन पर अनर्जक विनिधान के वही मानदंड लगेंगे जो विनिधानों पर लागू होते हैं।
- च. विदेशी इकाइयों के अनर्जक विनिधानों के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक हो, उसके अनुसार किया गया है।
- vii. रिपो तथा प्रत्यावर्तित रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) को लेख में लेने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित “समान लेखाकरण कार्यविधि” को अपनाया है। तदनुसार, रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त विक्रय / क्रय माना गया है और उन्हें रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो खातों के लेख में लिया गया है तथा इन प्रविष्टियों का परिपक्वता तिथि को प्रत्यावर्तन किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेख में लिया गया है। रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो खाते की शेष राशि का समायोजन विनिधान खाते की शेष राशि के सापेक्ष किया गया है।
- viii. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय / बिक्री की गई प्रतिभूतियों को विनिधान खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रत्यावर्तित किया गया है। उन पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेख में लिया गया है।
- e. The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.
- f. In respect of foreign entities, provisions for non performing investments are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.
- vii. The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Accordingly, the securities sold/purchased under Repo/Reverse repo are treated as outright sales/purchases and accounted for in the Repo/Reverse Repo Accounts, and the entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo/Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.
- viii. Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.
- 3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान**
- 3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन गई हैं, जहाँ:
- i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;
- ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता “असंगत” (“आउट ऑफ आर्डर”) रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण प्राधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई भी राशि तुलनपत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमा राशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;
- iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;
- iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में, अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज 2 फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;
- v. कृषि अग्रिमों के संबंध में, दीर्घावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।
- 3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:
- i. अव-मानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है।
- ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक श्रेणी में रह गई है।
- iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का अभिज्ञान हो गया है किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।
- 3. Loans /Advances and Provisions thereon**
- 3.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan assets become non-performing where:
- i. In respect of term loan, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;
- ii. In respect of an Overdraft or Cash Credit advance, the account remains “out of order”, i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period;
- iii. In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;
- iv. In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for 2 crop seasons;
- v. In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.
- 3.2 Non-Performing advances are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the following criteria stipulated by RBI:
- i. Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.
- ii. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- iii. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.





3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं:

- अव-मानक आस्तियाँ :
- i. 10% का सामान्य प्रावधान
 - ii. उन ऋण जोखिमों के लिए, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य शुरू से ही 10% से अधिक नहीं है)

संदिग्ध आस्तियाँ :

- प्रतिभूत भाग :
- i. एक वर्ष तक - 20%
 - ii. एक से तीन वर्ष तक - 30%
 - iii. तीन वर्ष से अधिक 100%

- अप्रतिभूत भाग : 100%

हानिप्रद आस्तियाँ : 100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्रावधान -स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक था, उसके अनुसार किया गया है।

3.5 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा - निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है, जिसमें किसी घाटे (जहाँ विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से कम है) के लिए प्रावधान किया जाना आवश्यक है, जबकि अधिशेष को (जहाँ विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है) को शामिल नहीं किया गया है। निवल बही मूल्य रखे गए विशिष्ट प्रावधान तथा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों में से घटाने पर बकाया है।

3.6 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.7 पुनर्संरचनागत / पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप मूल ऋण करार के अनुसार भविष्यगत बकाया ब्याज के वर्तमान मूल्य की पुनर्संचित पैकेज के अंतर्गत संभावित ब्याज - आय से तुलना करने के बाद उक्त राशि की अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। उपर्युक्त के कारण होने वाले उत्सर्जित ब्याज के प्रावधान को अग्रिम से घटाया गया है।

3.8 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.9 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण राजस्व के रूप में किया गया है।

3.10 पिछले वर्ष अग्रिमों के संदर्भ में हिसाब में लिए गए ऐसे गैर-वसूलीकृत ब्याज जो चालू वर्ष के दौरान अनर्जक हो गए हैं, उनके लिए प्रावधान किया गया है।

3.11 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। निवल अनर्जक आस्तियों की स्थिति की जानकारी के लिए मानक आस्तियों पर प्रावधानों को गणना में शामिल नहीं किया गया है। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के 'अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य' शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित हैं।

3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the RBI:

- Substandard Assets:
- i. A general provision of 10%
 - ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio)

Doubtful Assets:

- Secured portion:
- i. Upto one year - 20%
 - ii. One to three years - 30%
 - iii. More than three years - 100%

- Unsecured portion 100%

Loss Assets: 100%

3.4 In respect of foreign entities, provisions for non performing advances are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.

3.5 The sale of NPAs is accounted as per guidelines prescribed by the RBI, which requires provisions to be made for any deficit (where sale price is lower than the net book value), while surplus (where sale price is higher than the net book value) is ignored. Net book value is outstanding as reduced by specific provisions held and ECGC claims received.

3.6 Advances are net of specific loan loss provisions, unrealised interest, ECGC claims received and bills rediscounted.

3.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which requires that the present value of future interest due as per the original loan agreement, compared with the present value of the interest expected to be earned under the restructuring package, be provided in addition to provision for NPAs. The provision for interest sacrifice arising out of the above, is reduced from advances.

3.8 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing account if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

3.9 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue.

3.10 Unrealised Interest recognised in the previous year on advances which have become non-performing during the current year, is provided for.

3.11 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per the extant guidelines prescribed by the RBI. The provisions on standard assets are not reckoned for arriving at net NPAs. These provisions are reflected in Schedule 5 of the balance sheet under the head "Other Liabilities & Provisions - Others."



**4. अस्थायी प्रावधान**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक में अग्रिमों, विनिधानों और सामान्य प्रयोजन के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधान बनाने और उनका उपयोग करने की अनुमोदित नीति है। सृजित किए जानेवाले अस्थायी प्रावधानों की राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में निर्धारित की जाती है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से इस नीति में निर्दिष्ट की गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाली आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. बैंकिंग इकाइयों के लिए देशवार ऋण-जोखिम संबंधी प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधि आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में “अन्य देयताएं एवं प्रावधान-अन्य” के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स :

- 6.1 बैंक तुलनपत्र की तुलनपत्र के बाहर की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा व्यापार प्रयोजनों हेतु विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय और परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय तथा वायदा दर करार जैसी डेरीवेटिव्स संविदाएं करता है। तुलनपत्र की आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए की गई विनिमय संविदाएं इस ढंग से तैयार की जाती हैं कि वे तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों के साथ प्रतिकूल एवं क्षतिपूर्ति प्रभाव को सहन कर सकें। ऐसे डेरीवेटिव्स लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के संचालन के साथ जुड़ा हुआ है और प्रतिरक्षा लेखा सिद्धांतों के अनुसार लेखों में लिया गया है।
- 6.2 प्रतिरक्षा के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव्स संविदाएं प्रोद्भूत आधार पर दर्ज की गई हैं। जब तक अंतर्निहित आस्तियों / देयताओं को भी बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रतिरक्षा संविदाओं को बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं किया जाता है।
- 6.3 उपर्युक्त को छोड़कर, अन्य सभी डेरीवेटिव्स संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतः स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार बाजार मूल्य पर बही में शामिल की गई हैं। बाजार मूल्य पर बही में शामिल किए गए डेरीवेटिव्स संविदाओं के संबंध में, बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि से लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है। डेरीवेटिव्स संविदाओं के अधीन प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय होती है, तो उसे लाभ और हानि खाते के जरिए प्रत्यावर्तित किया गया है।
- 6.4 प्रदत्त या प्राप्त विकल्प प्रीमियम को विकल्प की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया है। बेचे गए विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम और खरीदे गए विकल्पों पर प्रदत्त प्रीमियम के शेष को फोरेक्स ओवर दि काउंटर विकल्पों के लिए बाजार मूल्य पर बही में शामिल की जाने वाली राशि निर्धारित करने हेतु ध्यान में रखा गया है।
- 6.5 बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए विदेशी मुद्रा विनिमय तथा व्यापार के उद्देश्य से किए गए ब्याज दर वायदा सौदों को निर्दिष्ट एवं तथ्यात्मक बाजार मूल्य पर उद्भूत प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

4. Floating Provision

In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created would be assessed at the end of each financial year. The floating provisions would be utilised only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

5. Provision for Country Exposure for Banking Entities

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are held for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in schedule 5 of the balance sheet under the “Other liabilities & Provisions – Others”.

6. Derivatives:

- 6.1 The Bank enters into derivative contracts, such as foreign currency options, interest rate swaps, currency swaps, and cross currency interest rate swaps and forward rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement of the underlying assets and accounted in accordance with the principles of hedge accounting.
- 6.2 Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying Assets / Liabilities are also marked to market.
- 6.3 Except as mentioned above, all other derivative contracts are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry. In respect of derivative contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised in the profit and loss account in the period of change. Any receivable under derivatives contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through profit and loss account.
- 6.4 Option premium paid or received is recorded in profit and loss account at the expiry of the option. The Balance in the premium received on options sold and premium paid on options bought have been considered to arrive at Mark to Market value for forex Over the Counter options.
- 6.5 Exchange Traded Foreign Exchange and Interest Rate Futures entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on quoted and observable market prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.



**7. अचल आस्तियाँ और मूल्यहास**

- 7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यहास से कम लागत पर अंकन किया गया है।
- 7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागत और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई फीस शामिल हैं। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को/इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।
- 7.3 इस देशी परिचालन के संबंध में मूल्यहास की दरें और मूल्यहास दर्शनी की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहास दर्शनी की पद्धति	मूल्यहास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर और एटीएम	सीधी कटौती प्रणाली	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	हासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	सीधी कटौती प्रणाली	अभिग्रहण वर्ष में 100%
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती प्रणाली	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	हासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अधीन निर्धारित दर पर

- 7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यहास 182 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्धवर्ष के लिए तथा 182 दिनों से अधिक प्रयुक्त आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए दर्शाया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्यहास - इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि से निरपेक्ष पूरे वर्ष के लिए दर्शाया गया है।
- 7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य रु.1000 से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।
- 7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराया को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।
- 7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूँजी-वसूली) एवं मूल्यहास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।
- 7.8 विदेशी शाखाओं/अनुषंगियों/सहयोगियों द्वारा धारित अचल आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपरोक्त अनुच्छेद 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन वित्तीय पट्टों में भी प्रयोग किया गया है।

7. Fixed Assets and Depreciation

- 7.1 Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.
- 7.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- 7.3 The rates of depreciation and method of charging depreciation in respect of domestic operations are as under:

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation	Depreciation/ amortisation rate
1	Computers & ATM	Straight Line Method	33.33% every year
2	Computer software forming an integral part of hardware	Written Down Value Method	60%
3	Computer Software which does not form an integral part of hardware	Straight Line Method	100%, in the year of acquisition
4	Assets given on financial lease upto 31 st March 2001	Straight Line Method	At the rate prescribed under Companies Act 1956
5	Other fixed assets	Written down value method	At the rate prescribed under Income-tax Rules 1962

- 7.4 In respect of assets acquired for domestic operations during the year, depreciation is charged for half an year in respect of assets used for upto 182 days and for the full year in respect of assets used for more than 182 days, except depreciation on computers and software, which is charged for the full year irrespective of the period for which the asset was put to use.
- 7.5 Items costing less than Rs. 1,000 each are charged off in the year of purchase.
- 7.6 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year.
- 7.7 In respect of assets given on lease by the Bank on or before 31st March 2001, the value of the assets given on lease is disclosed as Leased Assets under fixed assets, and the difference between the annual lease charge (capital recovery) and the depreciation is taken to Lease Equalisation Account.
- 7.8 In respect of fixed assets held at foreign branches/subsidiaries/associates, depreciation is provided as per the regulations /norms of the respective countries.

8. Leases

The asset classification and provisioning norms applicable to advances, as laid down in Para 3 above, are applied to financial leases also.



**9. आस्तियों की अपसामान्यता**

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रानीत राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रानीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रानीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव**10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन**

- i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।
- ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडई) की अंतिम तत्काल दरों के प्रयोग से दी गई है।
- iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दर के प्रयोग से दी गई है।
- iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना फेडई की अंतिम तत्काल दर के प्रयोग से की गई है।
- v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।
- vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें वे दे उद्भूत हुई हैं, के आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।
- viii. खुले विकल्प वाले मुद्रा वायदा लेनदेनों में विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ / हानि को एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस के साथ दैनिक आधार पर निपटान किया गया है और ऐसे लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

- i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

9. Impairment of Assets

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

10. Effect of changes in the foreign exchange rate**10.1 Foreign Currency Transactions**

- i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot/forward rates.
- iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.
- v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is included in the Profit or Loss account.
- vi. Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.
- vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.
- viii. Gains / Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains / losses are recognised in the profit and loss account.

10.2 Foreign Operations

Foreign entities of the Bank and Offshore Banking Units have been classified as Non-integral Operations and Representative Offices have been classified as Integral Operations.

a. Non-integral Operations:

- i. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.





- ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों के आय एवं व्यय को तिमाही औसत की अंतिम दर पर रूपांतरित किया गया है।
- iii. निवल विनिधान के निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित में किया गया है।
- iv. विदेशी कार्यालयों / अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों की विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई आस्तियों एवं देयताओं को विदेशी कार्यालयों / अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों की स्थानीय मुद्रा के अलावा उस देश के लिए लागू हाजिर दरों को प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में रूपांतरित किया गया है।

ख. समाकलित परिचालन:

- i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।
- ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रानीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के प्रयोग से की गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 नौकरी उपरांत हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

- क. समूह की कंपनियों में अलग अलग भविष्य निधि योजनाएँ लागू हैं, भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। समूह की कंपनियाँ निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करती हैं। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास में प्रेषित कर दिया गया है तथा लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है। समूह की कंपनियाँ, वार्षिक अंशदान और ब्याज देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह ब्याज - दर देय निर्दिष्ट न्यूनतम ब्याज दर के बराबर होती है। कंपनियाँ - इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानती हैं।
- ख. समूह की कंपनियाँ, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करती हैं।
- ग. समूह की कंपनियाँ, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करती हैं। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि, जो

- ii. Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.
- iii. Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.
- iv. The Assets and Liabilities of foreign offices/subsidiaries /joint ventures in foreign currency (other than local currency of the foreign offices/subsidiaries/joint ventures) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

b. Integral Operations:

- i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- ii. Monetary foreign currency assets and liabilities of integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date and the resulting profit/loss is included in the profit and loss account.
- iii. Foreign currency non-monetary items which are carried in terms of historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

11. Employee Benefits:

11.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

11.2 Post Employment Benefits:

i. Defined Benefit Plan

- a. The group entities operate separate Provident Fund schemes. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Provident Fund scheme. The group entities contribute monthly at a determined rate. These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The group entities are liable for annual contributions and interests, which is payable at minimum specified rate of interest. The entities recognise such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.
- b. The group entities operate separate gratuity and pension schemes, which are defined benefit plans.
- c. The group entities provide for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a ceiling in terms of service rules. Vesting occurs upon completion of five years





सेवा नियमावली में निर्धारित उच्चतम सीमा है, से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

- घ. समूह की कुछ कंपनियाँ सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती हैं। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमानुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। कंपनियाँ इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करती हैं।
- ङ नियत हितलाभ-प्रावधान - लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर वास्तविक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। वास्तविक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :

- क. समूह का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत का वित्तपोषण बैंक द्वारा आंतरिक स्तर पर किया गया है।
- ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

12. कर निर्धारण के लिए प्रावधान

- 12.1 वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ-कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय है। चालू वर्ष के करों का निर्धारण “आय पर करों संबंधी लेखा” लेखा मानक 22 और भारत में प्रचलित कर नियमों के अनुसार विदेश स्थित अनुषंगियों के संबंधित देशों के कर नियमों का समायोजन करके किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में उस अवधि के दौरान हुए उतार-चढ़ाव आस्थगित कर समायोजन में समाविष्ट हैं।
- 12.2 आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन अधिनियमित कर - दरों और कर - कानूनों अथवा तुलनपत्र - तिथि के काफी पूर्व अधिनियमित दरों और कानून के आधार पर किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अभिज्ञान विवेकपूर्ण आधार पर-आस्तियों और देयताओं के अग्रानीत मूल्य और उनके क्रमशः कर-आधार और अग्रानीत क्षतियों के बीच अवधिगत विभेद को ध्यान में रखकर किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है।
- 12.3 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की निश्चितता होने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, प्रत्येक सूचित तिथि को रेखांकित और पुनर्निर्धारित किया गया है। जब यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया है कि ऐसी आस्थगित - कर - आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है, तब आस्थगित-कर - आस्तियों का अभिज्ञान अनवशोषित मूल्यहास और कर हानियों के अग्रोषण पर किया गया है।
- 12.4 आय कर व्यय उनकी लागू विधियों के अनुसार मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए कर व्यय की कुल राशि है।

of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

- d. Some group entities provide for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The entities make annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.
- e. The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/losses are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

ii. Other Long Term Employee benefits:

- a. All eligible employees of the group are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.
- b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

12. Provision for Taxation

- 12.1 Income tax expense is the aggregate amount of current tax, deferred tax and fringe benefit tax charge. Current year taxes are determined in accordance with the provisions of AS 22 “Accounting for taxes on income” and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign subsidiaries, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.
- 12.2 Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted prior to the balance sheet date. Deferred tax assets and liabilities are recognised on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax basis, and carry forward losses. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.
- 12.3 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management’s judgement as to whether realisation is considered certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.
- 12.4 Income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial



**13. प्रति शेयर आय**

- 13.1 बैंक आइसीएआइ द्वारा जारी लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।
- 13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का लेखाकरण

- 14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुसार जारी पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, यह संभव है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।
- 14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का अभिज्ञान नहीं किया गया है
- पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी; अथवा
 - किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि
 - यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा; अथवा
 - दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।
- ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, के अलावा प्रावधान किया गया है।
- 14.3 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि आय के निर्धारण पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, जबकि इसकी वसूली नहीं की जा सकती।

15. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ नकदी एवं एटीएम में नकदी तथा धारित स्वर्ण, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशियाँ, अन्य बैंकों में जमा राशियाँ तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि शामिल हैं।

16. कर्मचारी शेयर क्रय योजना

भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना दिशा - निर्देश, 1999 के अनुसार जिस मूल्य पर शेयर जारी किए जाते हैं उसकी तुलना में शेयर जारी किए जाने के एक दिन पूर्व के मूल्य में अंतर को कर्मचारी प्रतिपूर्ति लागत माना गया है।

17. शेयर जारी करने का व्यय

शेयर जारी करने के व्यय को शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किया गया है।

statements of the parent and its subsidiaries/joint ventures, as per their applicable laws.

13. Earning per Share

- 13.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic earnings per share are computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.
- 13.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share is computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- 14.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the ICAI, the provision is recognised only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- 14.2 No provision is recognised for
- any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
 - any present obligation that arises from past events but is not recognised because
 - it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.
- Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.
- 14.3 Contingent Assets are not recognised in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realised.

15. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand and in ATM's, and gold in hand, balances with RBI, balances with other banks, and money at call and short notice.

16. Employee Share Purchase Scheme

In accordance with the Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme Guidelines, 1999 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the excess of market price one day prior to the date of issue of the shares over the price at which they are issued is recognised as employee compensation cost.

17. Share Issue Expenses

Share issue expenses are charged to the Share Premium Account.





अनुसूची - 18

लेखा-टिप्पणियाँ

(राशि करोड़ रुपये में)

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं :

- 1.1 समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय निम्नांकित 29 अनुषंगियों, 6 संयुक्त उद्यमों और 26 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है :

क) अनुषंगी

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का जोखिम (%)
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	75.07
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	भारत	100.00
3.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	भारत	98.05
4.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	भारत	92.33
5.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	भारत	100.00
6.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	भारत	75.01
7.	एसबीआई कमर्शियल एण्ड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड	भारत	100.00
8.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00
9.	एसबीआईकेप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00
10.	एसबीआईकेप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00
11.	एसबीआईकेप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00
12.	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	66.39
13.	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00
14.	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	85.35
15.	एसबीआई पेंशन फण्ड प्रा. लिमिटेड	भारत	96.85
16.	एसबीआई कस्टोडियल सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	भारत	65.00
17.	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.*	भारत	74.00
18.	एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	भारत	100.00
19.	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	कनाडा	100.00
20.	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलेफोर्निया)	यूएसए	100.00
21.	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	93.40
22.	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	76.00
23.	एसबीआईकेप (यूके) लि.	यूके	100.00
24.	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड*	भारत	60.00
25.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.*	भारत	63.00
26.	एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कं. लि.*	भारत	74.00
27.	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी*	रूस	60.00
28.	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.02
29.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.*	मॉरीशस	63.00

* ये इकाइयाँ संयुक्त रूप से नियंत्रित हैं।

Schedule 18

NOTES ON ACCOUNTS

(Amount in Rupees in crore)

1. List of Subsidiaries/Joint Ventures/Associates considered for preparation of consolidated financial statements:

- 1.1 The 29 Subsidiaries, 6 Joint Ventures and 26 Associates (which along with State Bank of India, the parent, constitute the Group), considered in the preparation of the consolidated financial statements, are

A) Subsidiaries

Sr. No	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Group's Stake (%)
1)	State Bank of Bikaner & Jaipur	India	75.07
2)	State Bank of Hyderabad	India	100.00
3)	State Bank of Indore	India	98.05
4)	State Bank of Mysore	India	92.33
5)	State Bank of Patiala	India	100.00
6)	State Bank of Travancore	India	75.01
7)	SBI Commercial & International Bank Ltd.	India	100.00
8)	SBI Capital Markets Ltd.	India	100.00
9)	SBICAP Securities Ltd.	India	100.00
10)	SBICAP Trustee Company Ltd.	India	100.00
11)	SBICAPS Ventures Ltd.	India	100.00
12)	SBI DFHI Ltd.	India	66.39
13)	SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd.	India	100.00
14)	SBI Global Factors Ltd.	India	85.35
15)	SBI Pension Funds Pvt. Ltd.	India	96.85
16)	SBI Custodial Services Pvt. Ltd. @	India	65.00
17)	SBI General Insurance Company Ltd. @	India	74.00
18)	SBI Payment Services Pvt. Ltd.	India	100.00
19)	State Bank of India (Canada)	Canada	100.00
20)	State Bank of India (California)	USA	100.00
21)	SBI (Mauritius) Ltd.	Mauritius	93.40
22)	PT Bank SBI Indonesia	Indonesia	76.00
23)	SBICAP (UK) Ltd.	U.K.	100.00
24)	SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd. @	India	60.00
25)	SBI Funds Management Pvt Ltd @	India	63.00
26)	SBI Life Insurance Company Ltd @	India	74.00
27)	Commercial Bank of India Llc @	Russia	60.00
28)	Nepal SBI Bank Ltd.	Nepal	55.02
29)	SBI Funds Management (International) Private Ltd @	Mauritius	63.00

@ These entities are jointly controlled.



**ख) संयुक्त उद्यम**

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन- देश	समूह का जोखिम (%)
1.	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	49.00
2.	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	40.00
3.	एसबीआइ मैक्वाअरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	45.00
4.	एसबीआइ मैक्वाअरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि. *	भारत	100.00
5.	मैक्वाअरी एसबीआइ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	सिंगापुर	45.00
6.	मैक्वाअरी एसबीआइ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बेरमुदा	45.00

* संयुक्त उद्यम भागीदार को अगली तिमाही में शामिल किए जाने की संभावना है।

ग) सहयोगी:

क्र. सं.	सहयोगी का नाम	निगमन- देश	समूह का जोखिम (%)
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00
2.	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00
3.	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
4.	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00
5.	मेघालय रूरल बैंक	भारत	35.00
6.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
7.	लांगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	35.00
8.	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
9.	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00
10.	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	35.00
11.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
12.	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
13.	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
14.	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
15.	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
16.	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
17.	मारवाड गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक	भारत	26.27
18.	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	34.32
19.	डेक्कन ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
20.	कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक	भारत	32.32

B) Joint Ventures

Sr. No	Name of the Joint Venture	Country of Incorporation	Group's Stake (%)
1)	C Edge Technologies Ltd	India	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt Ltd	India	40.00
3)	SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.	India	45.00
4)	SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd*	India	100.00
5)	Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.	Singapore	45.00
6)	Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd	Bermuda	45.00

* JV Partner is expected to be inducted in the next quarter.

C) Associates:

Sr. No	Name of the Associate	Country of Incorporation	Group's Stake (%)
1)	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	India	35.00
2)	Arunachal Pradesh Rural Bank	India	35.00
3)	Chhatisgarh Gramin Bank	India	35.00
4)	Ellaquai Dehati Bank	India	35.00
5)	Meghalaya Rural Bank	India	35.00
6)	Krishna Grameena Bank	India	35.00
7)	Langpi Dehangi Rural Bank	India	35.00
8)	Madhya Bharat Gramin Bank	India	35.00
9)	Mizoram Rural Bank	India	35.00
10)	Nagaland Rural Bank	India	35.00
11)	Parvatiya Gramin Bank	India	35.00
12)	Purvanchal Kshetriya Gramin Bank	India	35.00
13)	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	India	35.00
14)	Utkal Gramya Bank	India	35.00
15)	Uttaranchal Gramin Bank	India	35.00
16)	Vananchal Gramin Bank	India	35.00
17)	Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank	India	26.27
18)	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	India	34.32
19)	Deccan Grameena Bank	India	35.00
20)	Cauvery Kalpatharu Grameena Bank	India	32.32





21. मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	21) Malwa Gramin Bank	India	35.00
22. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	22) Saurashtra Grameena Bank	India	35.00
23. दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	भारत	28.99	23) The Clearing Corporation of India Ltd	India	28.99
24. बैंक आफ भूटान लि.	भूटान	20.00	24) Bank of Bhutan Ltd	Bhutan	20.00
25. एस. एस. वेंचर्स सर्विसेस लि.	भारत	50.00	25) S.S. Ventures Services Ltd	India	50.00
26. एसबीआइ होम फाइनेंस लिमिटेड	भारत	25.05	26) SBI Home Finance Ltd	India	25.05

1.2 वर्ष 2008-09 की तुलना में समेकन-प्रक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं।

- क. भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी, एसबीआइ फैक्टर्स एण्ड कमर्शियल सर्विसेस प्रा. लि. का एसबीआइ की दूसरी अनुषंगी ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लि. के साथ समामेलन कर दिया गया और समामेलित इकाई का नाम बदलकर एसबीआइ ग्लोबल फैक्टर्स लि. हो गया है। विलय की इस योजना को मुंबई उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 अप्रैल 2009, जो विलय की तिथि है, से अनुमोदित कर दिया है। परिणामस्वरूप एसबीआइ ग्लोबल फैक्टर्स लि. में एसबीआइ की अंशधारिता 92.85% (विलय से पूर्व) से घटकर 83.43% (विलय के बाद) हो गई।
- ख. नेपाल एसबीआइ बैंक लि., जो एसबीआइ का एक सहयोगी है, दिनांक 14.06.2009 से इसकी अनुषंगी बन गया है क्योंकि एसबीआइ ने कृषि विकास बैंक लि., नेपाल (एडीबीएल) से 5% अतिरिक्त अंश प्राप्त कर लिए हैं। इस बदलाव के परिणामस्वरूप, एसबीआइ का अंश बढ़कर 55.02% हो गया।
- ग. यूटीआइ आस्ति प्रबंधन कंपनी प्रा. लि. को दिनांक 01.04.2009 से 19.01.2010 तक की अवधि के लिए एसबीआइ की एक सहयोगी के रूप में शामिल किया गया है क्योंकि एसबीआइ ने दिनांक 20.01.2010 को अपने 25% अंश में से 6.50% अंश निकाल लिया है।
- घ. एसबीआइ ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स लि. के 13.84% अंश प्राप्त किए हैं। इस प्रकार एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स लि. और उसकी सभी अनुषंगियां (एसबीआइकैप सिन्डिकेटीज लि., एसबीआइकैप ट्रस्टी कंपनी लि., एसबीआइकैप वेंचर्स लि., एसबीआइकैप (यूके) लि.) एसबीआइ की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगियां बन गई हैं।
- ङ. एसबीआइ की एक अनुषंगी, पीटी बैंक इंडोमोनेक्स का नाम बदलकर दिनांक 6 मई 2009 से पीटी बैंक एसबीआइ इंडोनेशिया हो गया है।
- च. एसबीआइ के बोर्ड ने एशियन विकास बैंक (एडीबी) से एसबीआइ डीएफएचआइ लि. के 4.69% अंश को प्राप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। तथापि, यह सौदा दिनांक 5 अप्रैल 2010 को पूर्ण किया गया।
- छ. एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, एसबीआइ पैमेंट सर्विसेस प्रा. लि. को मर्चेण्ट अभिग्रहण व्यवसाय करने के लिए निगमित किया गया। तथापि, इस कंपनी ने 31.03.2010 तक व्यवसाय शुरू नहीं किया है।

1.2 The following changes have taken place in the consolidation process as compared to the previous year 2008-09.

- a. SBI's subsidiary, SBI Factors & Commercial Services Pvt. Ltd. is amalgamated with Global Trade Finance Ltd., another subsidiary of SBI and the amalgamated entity's name has been changed to SBI Global Factors Ltd. The Scheme of Merger has been approved by High Court of Bombay w.e.f 1st April 2009, being the appointed date. Consequently, the SBI's stake in SBI Global Factors Ltd. has reduced from a 92.85 % holding (pre-merger) to 83.43 % holding (post-merger).
- b. Nepal SBI Bank Ltd, an associate of SBI has become its subsidiary w.e.f 14.06.2009 as SBI has acquired 5% additional stake from Agricultural Development Bank Limited, Nepal (ADBL). Consequent upon this change SBI's stake is increased to 55.02%.
- c. UTI Asset Management Company Pvt Ltd is considered as an associate of SBI for the period 01.04.2009 to 19.01.2010 as SBI has divested its 6.50% stake (out of 25%) on 20.01.2010.
- d. SBI has acquired 13.84% stake in SBI Capital Markets Limited from Asian Development Bank (ADB). Thus SBI Capital Markets Limited and all its subsidiaries (SBICAP Securities Ltd, SBICAP Trustee Company Ltd, SBICAPS Ventures Ltd, SBICAP (UK) Ltd) have become wholly owned subsidiaries of SBI.
- e. The name of PT Bank IndoMonex, a subsidiary of SBI has been changed to PT Bank SBI Indonesia w.e.f. 6th May 2009.
- f. The Board of SBI has approved a proposal to acquire 4.69% stake in SBI DFHI Ltd from Asian Development Bank (ADB). However the deal was completed on 5th April 2010.
- g. A wholly owned subsidiary, SBI Payment Services Pvt. Ltd was incorporated for carrying on merchant acquiring business. However the company has not commenced business till 31.03.2010.
- h. The winding up petition of SBI Home Finance Ltd., an associate of the bank, was filed with the Kolkata High Court on 23rd September 2008.





- ज. एसबीआइ होम फाइनेंस लि., जो बैंक की एक सहयोगी है, की समापन याचिका दिनांक 23 सितंबर 2008 को कोलकाता उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। माननीय न्यायालय ने कंपनी के समापन हेतु निर्देश देते हुए 31 मार्च 2009 को एक आदेश पारित कर दिया है।
- झ. केन्द्रीय बोर्ड द्वारा 19 जून 2009 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित समामेलन की योजना के अनुसरण में, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, जिसमें बैंक की 98.05% अंश धारिता है, का विलय इस बैंक में किया जाएगा। भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की आस्तियां एवं देयताएं सहित व्यवसाय का अभिग्रहण करने हेतु बातचीत करने के लिए बैंक को संस्वीकृति प्रदान कर दी है।
- 1.3 बैंक ऑफ भूटान लि., जो एसबीआइ की सहयोगी है, पैरेंट बैंक से भिन्न लेखा वर्ष (ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष) का अनुपालन करते हैं। तदनुसार, इस सहयोगी के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2009 की स्थिति के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. शेयर पूंजी :

- 2.1 वर्ष के दौरान, एसबीआइ ने राइट्स इश्यू 2008 के अंतर्गत रोककर रखे गए 88,278 शेयरों में से प्रति शेयर रु. 10 नकद और रु. 1580 के प्रीमियम के साथ कुल रु. 38,50,980 के 2422 ईक्विटी शेयर आबंटित किए। प्राप्त हुए रु. 38,50,980 के कुल अंशदान में से, रु. 24,220 शेयर पूंजी खाते और रु. 38,26,760 शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित कर दिए गए हैं।
- 2.2 एसबीआइ ने राइट्स इश्यू के एक भाग के रूप में जारी प्रति शेयर रु. 10 के 85,856 (पिछले वर्ष 88,278) ईक्विटी शेयरों का आबंटन रोककर रखा है, क्योंकि वे हक विवादों या न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं।

3. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण:

3.1 लेखाकरण नीति में परिवर्तन:

एसबीआइ ने दिसंबर 2008 से जून 2009 तक की अवधि में एक विशेष गृह ऋण योजना का कार्यान्वयन किया जिसके अंतर्गत प्राप्त गृह ऋण की अवधि के लिए ऋणियों का एकमुश्त जीवन बीमा प्रीमियम अदा किया गया। इस योजना के कारण रु. 151.37 करोड़ का प्रदत्त कुल बीमा प्रीमियम औसतन 15 वर्षों की ऋण अवधि के दौरान खर्च खाते को नामे किया जाना है। तदनुसार, इस वर्ष में प्रीमियम राशि का 1/15 भाग खर्च खाते को नामे किया गया।

इस बदलाव के कारण, भारतीय स्टेट बैंक का कर-पश्चात लाभ रु. 93.26 करोड़ बढ़ गया।

3.2 कर्मचारी - हितलाभ:

3.2.1 नियत हितलाभ योजनाएँ

निम्न तालिका में लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित है :

The Hon'ble Court has passed an order on 31st March 2009 giving direction for winding up of the company.

- i. Pursuant to a scheme of Amalgamation approved by the Central Board at its meeting on 19th June 2009, State Bank of Indore, where SBI holds 98.05% stake, is to be merged with the Bank. The Government of India has accorded sanction to the Bank for entering into negotiations for acquiring the business, including assets and liabilities of State Bank of Indore.

- 1.3 Bank of Bhutan Ltd, an associate of SBI follows accounting year (Gregorian Calendar Year) different from that of the parent. Accordingly, the financial statements of the associate are made as of 31st December 2009.

2. Share Capital:

2.1 During the year, SBI has allotted 2422 equity shares of Rs 10 each for cash at a premium of Rs 1580 per equity share aggregating to Rs 38,50,980 out of 88,278 shares kept in abeyance under Right Issue – 2008. Out of the total subscription of Rs. 38,50,980 received, Rs 24,220 was transferred to Share Capital Account and Rs. 38,26,760 was transferred to Share Premium Account.

2.2 SBI has kept in abeyance the allotment of 85,856 (Previous Year 88,278) Equity Shares of Rs. 10/- each issued as a part of Rights issue, since they are subject to title disputes or are subjudice.

3. Disclosures as per Accounting Standards:

3.1 Change in Accounting Policy:

SBI has implemented a special home loan scheme for the period December 2008 to June 2009, arising out of which one time insurance premium has been paid covering the lives of the borrowers over the tenure of the home loan availed. The total insurance premium paid amounting to Rs. 151.37 crores on account of such scheme is charged off over average loan period of 15 years and accordingly, 1/15th of the premium amount has been charged off during the year.

Consequent to this change, the profit after tax of SBI has gone up by Rs 93.26 crores.

3.2 Employees Benefits:

3.2.1 Defined Benefit Plans

The following table sets out the status of the defined benefit Pension Plan and Gratuity Plan as required under AS 15 (Revised 2005):





विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2009 को प्रारंभिक				
नियत हितलाभ दायित्व	24008.71	21387.50	5068.06	4887.04
वर्तमान सेवा लागत	1087.38	1135.57	225.74	223.69
ब्याज लागत	1922.46	1684.31	399.12	380.67
वास्तविक हानियाँ (लाभ)	1537.30	1073.85	(134.19)	(138.88)
प्रदत्त हितलाभ	(1540.20)	(1272.52)	(305.19)	(284.46)
31 मार्च 2010 को नियत हितलाभ दायित्व का इतिशेष	27015.65	24008.71	5253.54	5068.06
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2009 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	17366.99	16666.34	4880.36	4739.10
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1415.60	1232.78	383.87	367.64
नियोजक का अंशदान	1650.48	508.58	130.28	41.39
प्रदत्त हितलाभ	(1540.20)	(1272.52)	(305.19)	(284.46)
बीमाकिक लाभ	454.26	231.81	37.45	16.69
31 मार्च 2010 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	19347.13	17366.99	5126.77	4880.36
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2010 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	27015.65	24008.71	5253.54	5068.06
31 मार्च 2010 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	19347.13	17366.99	5126.77	4880.36
कमी/ (अधिशेष)	7668.52	6641.72	126.77	187.70
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
निवल देयता / (आस्ति)	7668.52	6641.72	126.77	187.70
तुलनपत्र में ली गई राशि				
देयताएँ	27015.65	24008.71	5253.54	5068.06
आस्तियाँ	19347.13	17366.99	5126.77	4880.36
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/ (आस्ति)	7668.52	6641.72	126.77	187.70
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1087.38	1135.57	225.74	223.69
ब्याज लागत	1922.46	1684.31	399.12	380.67
योजना - आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1415.60)	(1232.78)	(383.87)	(367.64)
तिमाही के दौरान शामिल निवल बीमाकिक हानियाँ (लाभ)	1083.04	842.04	(171.64)	(155.57)
नियत हित लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 'कर्मचारी को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' में शामिल की गई है।	2677.28	2429.14	69.35	81.15

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	CY	PY	CY	PY
Change in the present value of the defined benefit obligation				
Opening defined benefit obligation at 1st April 2009	24008.71	21387.50	5068.06	4887.04
Current Service Cost	1087.38	1135.57	225.74	223.69
Interest Cost	1922.46	1684.31	399.12	380.67
Actuarial losses (gains)	1537.30	1073.85	(134.19)	(138.88)
Benefits paid	(1540.20)	(1272.52)	(305.19)	(284.46)
Closing defined benefit obligation at 31st March 2010	27015.65	24008.71	5253.54	5068.06
Change in Plan Assets				
Opening fair value of plan assets at 1st April 2009	17366.99	16666.34	4880.36	4739.10
Expected Return on Plan assets	1415.60	1232.78	383.87	367.64
Contributions by employer	1650.48	508.58	130.28	41.39
Benefit Paid	(1540.20)	(1272.52)	(305.19)	(284.46)
Actuarial Gains	454.26	231.81	37.45	16.69
Closing fair value of plan assets at 31st March 2010	19347.13	17366.99	5126.77	4880.36
Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
Present Value of Funded obligation at 31st March 2010	27015.65	24008.71	5253.54	5068.06
Fair Value of Plan assets at 31st March 2010	19347.13	17366.99	5126.77	4880.36
Deficit/(Surplus)	7668.52	6641.72	126.77	187.70
Unrecognised Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil
Net Liability/(Asset)	7668.52	6641.72	126.77	187.70
Amount Recognised in the Balance Sheet				
Liabilities	27015.65	24008.71	5253.54	5068.06
Assets	19347.13	17366.99	5126.77	4880.36
Net Liability / (Asset) recognised in Balance Sheet	7668.52	6641.72	126.77	187.70
Net Cost recognised in the profit and loss account				
Current Service Cost	1087.38	1135.57	225.74	223.69
Interest Cost	1922.46	1684.31	399.12	380.67
Expected return on plan assets	(1415.60)	(1232.78)	(383.87)	(367.64)
Net actuarial losses (Gain) recognised during the year	1083.04	842.04	(171.64)	(155.57)
Total costs of defined benefit plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for employees"	2677.28	2429.14	69.35	81.15





विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1415.60	1232.78	383.87	367.64
योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	454.26	231.81	37.45	16.69
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	1869.86	1464.59	421.32	384.33
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2009 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	6641.72	4721.16	187.70	147.94
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	2677.28	2429.14	69.35	81.15
नियोक्ताओं का अंशदान	1650.48	508.58	130.28	41.39
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	7668.52	6641.72	126.77	187.70

31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए विनिधान निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	21.50%	44.33%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.47%	3.69%
सार्वजनिक क्षेत्र के बांड	4.55%	3.66%
बैंक में एफडीआर / टीडीआर	4.88%	2.91%
बैंक की जमाराशियाँ	2.29%	4.32%
अन्य	62.31%	41.09%
योग	100.00%	100.00%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	पेंशन और ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7% से 8.50% तक	7.25% से 7.75% तक
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.50% से 8% तक	7.50% से 8% तक
वेतन वृद्धि	4% से 15% तक	5% से 13% तक

भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, वास्तविक मूल्यन का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है। इस प्रकार के अनुमान सुदीर्घ अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव / सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	CY	PY	CY	PY
Reconciliation of expected return and actual return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	1415.60	1232.78	383.87	367.64
Actuarial Gain/ (loss) on Plan Assets	454.26	231.81	37.45	16.69
Actual Return on Plan Assets	1869.86	1464.59	421.32	384.33
Reconciliation of opening and closing net liability/ (asset) recognised in Balance Sheet				
Opening Net Liability as at 1st April 2009	6641.72	4721.16	187.70	147.94
Expenses as recognised in profit and loss account	2677.28	2429.14	69.35	81.15
Employers Contribution	1650.48	508.58	130.28	41.39
Net liability/(Asset) recognised in Balance Sheet	7668.52	6641.72	126.77	187.70

Investments under Plan Assets of Gratuity Fund & Pension Fund as on 31st March 2010 are as follows:

Category of Assets	Pension Fund	Gratuity Fund
	% of Plan Assets	% of Plan Assets
Central Govt. Securities	21.50%	44.33%
State Govt. Securities	4.47%	3.69%
Public Sector Bonds	4.55%	3.66%
FDR / TDR with Bank	4.88%	2.91%
Bank Deposits	2.29%	4.32%
Others	62.31%	41.09%
Total	100.00%	100.00%

Principal actuarial assumptions;

Particulars	Pension and Gratuity Plans	
	Current year	Previous year
Discount Rate	7% to 8.50%	7.25% to 7.75%
Expected Rate of return on Plan Asset	7.50% to 8%	7.50% to 8%
Salary Escalation	4% to 15%	5% to 13%

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in the





करते हैं कि दीर्घ अवधि के दौरान - सतत् उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है। लेखापरीक्षकों ने इस प्रसंग में बैंक द्वारा किए गए प्रतिवेदन पर भरोसा किया है।

3.2.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक बोर्ड द्वारा संशोधित लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, बैंक द्वारा स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि नियत लाभ योजना की परिधि में आएगा क्योंकि बैंक को निर्धारित न्यूनतम प्रतिलाभ को पूरा करना है। वर्ष के अंत में ऐसी कोई कमी नहीं बची थी जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया हो। तदनुसार, भविष्य निधि के संबंध में अन्य संबंधित प्रकटीकरणों का उल्लेख नहीं किया गया है। रु. 420.19 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 394.59 करोड़) की राशि को लाभ और हानि खाते में 'कर्मचारियों के भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत शामिल बैंक की भविष्य निधि योजना पर किए गए व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

3.2.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

रु. 233.54 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 68.04 करोड़) की राशि को लाभ और हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अन्तर्गत शामिल दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों पर किए गए व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभ योजना के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण :

क्रम सं.	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के साथ अर्जित अवकाश का नकदीकरण	162.78	35.21
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण / उपयोग)	39.48	15.52
3	रुग्ण अवकाश	23.22	(3.80)
4	रजत जयंती अवार्ड	3.38	(4.23)
5	अधिर्वर्षिता पर पुनर्निपटान व्यय	(6.95)	4.18
6	आकस्मिक अवकाश	5.65	5.74
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	5.98	15.42
	योग	233.54	68.04

very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The auditors have relied upon the representation made by the Bank in this behalf.

3.2.2 Employees Provident Fund

In terms of the guidance on implementing the AS-15 (Revised 2005) "Employees Benefits" issued by the ICAI, the Employees Provident Fund set up by the Bank is treated as a defined benefit plan since the Bank has to meet the specified minimum rate of return. As at the year end, no shortfall remains unprovided for. Accordingly, other related disclosures in respect of Provident Fund have not been made and an amount of Rs. 420.19 Crore (Previous Year Rs. 394.59 Crore) is recognised as an expense towards the Provident Fund scheme of the group included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss Account.

3.2.3 Other Long Term Employee Benefits

Amount of Rs. 233.54 Crore (Previous Year Rs. 68.04 Crore) is recognised as an expense towards Long term Employee Benefits included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss account.

Details of Provisions made for various long Term Employees' Benefits during the year;

Sl. No.	Long Term Employees' Benefits	Current Year	Previous Year
1	Privilege Leave (Encashment) incl. leave encashment at the time of retirement	162.78	35.21
2	Leave Travel and Home Travel Concession (Encashment/Availment)	39.48	15.52
3	Sick Leave	23.22	(3.80)
4	Silver Jubilee Award	3.38	(4.23)
5	Resettlement Expenses on Superannuation	(6.95)	4.18
6	Casual Leave	5.65	5.74
7	Retirement Award	5.98	15.42
	Total	233.54	68.04





3.3 खंड सूचना (जैसे प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया है)

3.3.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया है।

- कोष
- कारपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक् प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल - खंडों के आंकड़ों को निम्नवत पुनर्समूहित किया गया है:

क) कोष: कोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। कोष खंड की आय मूलतः व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ / हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है।

ख) कारपोरेट / थोक बैंकिंग: खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति समूह की ऋण - गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग: खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलापों में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित - वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

घ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय: जो खंड उपर्युक्त (क) से (ग) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत

3.3 Segment Reporting (As complied by management and relied upon by the auditors)

3.3.1 Segment Identification

A) Primary (Business Segment)

The following are the Primary Segments of the Group:

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the Primary Segments have been computed as under:

a) Treasury: The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

b) Corporate / Wholesale Banking: The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Mid Corporate Accounts Group and Stressed Assets Management Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non treasury operations of foreign offices.

c) Retail Banking: The Retail Banking Segment comprises of branches in National Banking Group, which primarily includes personal Banking activities including lending activities to corporate customers having Banking relations with branches in the National Banking Group. This segment also includes agency business and ATM's

d) Other Banking business - Segments not classified under (a) to (c) above are classified





किया गया है। इस खंड के अंतर्गत समूह की सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों का कार्यकलाप भी शामिल है।

जिन बैंकिंग अनुषंगियों की प्रबंधन रिपोर्टिंग प्रणाली पैरेंट जैसी नहीं है उनके रु.5 करोड़ रुपये से ऊपर के सभी जोखिमों को अलग कर दिया गया है और उन्हें कारपोरेट/थोक बैंकिंग में शामिल कर दिया गया है।

ख) गौण (भौगोलिक खंड):

- i) देशी परिचालन के अंतर्गत - भारत में परिचालित शाखाएँ/ कार्यालय आते हैं।
- ii) विदेशी परिचालन के अंतर्गत - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ/ कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ आती हैं।

ग) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन:

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/ थोक और रिटेल बैंकिंग परिचालन खंड अथवा कोष परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आबंटित किए गए हैं।

3.3.2 खंड रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई लेखा नीतियां निम्नलिखित अतिरिक्त पक्षों के साथ वही हैं जो पैरेंट के वित्तीय विवरण को रिपोर्ट करने के लिए अपनाई गई हैं:

- 1) गैर-बैंकिंग परिचालन खंडों और अन्य खंडों के बीच अंतर खंड लेनदेन का मूल निर्धारण बाजार आधार पर किया गया है। कोष और अन्य बैंकिंग व्यवसाय के बीच लेनदेन के संबंध में निधियों के उपयोग के लिए प्रतिपूर्ति की राशि की गणना ऋण खंड द्वारा वहन किए गए ब्याज और अन्य लागतों के आधार पर की गई है।
- 2) खंडों की आय और व्यय को खंड की परिचालन गतिविधि से संबंध के आधार पर शामिल किया गया है।
- 3) समग्र उद्यम से संबंधित ऐसी आय और व्यय जिन्हें किसी खंड को आबंटित करने का तार्किक आधार नहीं है उन्हें “अनाबंटित व्यय” के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

under this primary segment. This segment also includes the operations of all the Non-Banking Subsidiaries/Joint Ventures of the group.

In the case of Banking Subsidiaries who do not have the management reporting structure corresponding to the parent, all the exposures in excess of Rs 5 Crore have been segregated and included in Corporate/Wholesale Banking.

B) Secondary (Geographical Segment):

- i) Domestic operations comprise branches and subsidiaries having operations in India.
- ii) Foreign operations comprise branches and subsidiaries having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

C) Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses of parent incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of number of employees in each segment/ ratio of directly attributable expenses.

3.3.2 The accounting policies adopted for segment reporting are in line with the accounting policies adopted in the parent's financial statements with the following additional features:

- 1) Pricing of inter-segment transactions between the Non Banking Operations segment and other segments are market led. In respect of transactions between treasury and other banking business, compensation for the use of funds is reckoned based on interest and other costs incurred by the lending segment.
- 2) Revenue and expenses have been identified to segments based on their relationship to the operating activities of the segment.
- 3) Revenue and expenses, which relate to the enterprise as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis, have been included under “Unallocated Expenses”.





3.3.3 खंडवार सूचना के अंतर्गत प्रकटीकरण 3.3.3 DISCLOSURE UNDER SEGMENT REPORTING

भाग क : प्राथमिक खंड

PART A: PRIMARY SEGMENTS:

	कोष परिचालन Treasury Operations	कारपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	परित्याग Elimination	योग TOTAL
आय Revenue	28,434.51 (22,556.93)	39,843.20 (35,007.51)	50,310.11 (52,224.58)	18,522.63 (7,758.79)	(3,361.01) (-4,462.57)	133,749.44 (1,13,085.24)
परिणाम Result	4,408.86 (3,287.16)	7,762.42 (7,780.35)	9,021.20 (10,087.52)	196.03 (343.96)	— (—)	21,388.51 (21,498.99)
अनाबंटित (आय) Unallocated (Income)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	102.39 (7.85)
अनाबंटित (व्यय) Unallocated (Expenses)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	2,808.87 (-3,612.00)
परिचालन लाभ (पीबीटी) Operating Profit (PBT)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	18,682.03 (17,894.84)
कर Taxes	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	6,668.38 (6,721.77)
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
निवल लाभ Net Profit	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	12,013.65 (11,173.07)
अन्य सूचनाएं: Other Information:						
खंड अस्तियाँ Segment Assets	4,20,007.04 (4,18,116.72)	4,49,429.89 (3,88,376.65)	5,35,117.22 (4,73,650.13)	36,405.72 (25,393.18)	— (- 8,907.13)	14,40,959.87 (12,96,629.55)
अनाबंटित अस्तियाँ Unallocated Assets	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	9,184.10 (8,196.19)
कुल अस्तियाँ Total Assets	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	14,50,143.97 (13,04,825.74)
खंड देयताएँ Segment Liabilities	1,81,831.11 (2,11,439.13)	4,40,814.86 (3,72,216.04)	6,64,634.16 (5,90,989.82)	31,538.72 (21,864.52)	— (- 8,907.13)	13,18,818.85 (11,87,602.38)
अनाबंटित देयताएँ Unallocated Liabilities	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	48,189.54 (44,832.97)
कुल देयताएँ Total Liabilities	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	13,67,008.39 (12,32,435.35)

भाग ख : द्वितीयक खंड

PART B : SECONDARY SEGMENTS

विवरण Particulars	देशीय परिचालन Domestic Operations	विदेशी परिचालन Foreign Operations	योग Total
आय Revenue	1,28,347.46 (1,07,536.61)	5,504.37 (5,556.48)	1,33,851.83 (1,13,093.09)
आस्तियाँ Assets	13,11,718.84 (11,85,292.32)	1,38,425.13 (1,19,533.42)	14,50,143.97 (13,04,825.74)

i) आय/व्यय पूरे वर्ष हेतु हैं। आस्तियाँ/देयताओं का विवरण दिनांक 31 मार्च 2010 का है।

ii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

i) Income/Expenses are for the whole year. Assets/Liabilities are as at 31st March 2010.

ii) Figures within brackets are for previous year.





3.4 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण : जैसा कि प्रबंधन द्वारा इनका अभिनिर्धारण और संकलन किया गया है और लेखापरीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

3.4.1 समूह के संबंधित पक्ष:

क) संयुक्त उद्यम:

1. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
2. सी एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड.
3. एसबीआई मैक्वाअरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
4. एसबीआई मैक्वाअरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.
5. मैक्वाअरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
6. मैक्वाअरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.

ख) सहयोगी:

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक
4. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
5. डेक्कन ग्रामीण बैंक
6. इलाकाई देहाती बैंक
7. मेघालय रूरल बैंक
8. कृष्णा ग्रामीण बैंक
9. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
10. मध्य भारत ग्रामीण बैंक
11. मालवा ग्रामीण बैंक
12. मारवाड़ गंगानगर बीकानेर बैंक
13. मिजोरम रूरल बैंक
14. नागालैंड रूरल बैंक
15. पर्वतीय ग्रामीण बैंक
16. पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
19. उत्कल ग्राम्य बैंक
20. उत्तरांचल ग्रामीण बैंक
21. वनांचल ग्रामीण बैंक
22. विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

23. दि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
24. नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड (13.06.2009 तक)
25. बैंक आफ भूटान लि.
26. यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि. (19.01.2010 तक)
27. एस. एस. वेंचर्स सर्विसेस प्रा. लिमिटेड
28. एसबीआई होम फायनांस लिमिटेड

ग) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

1. श्री ओ.पी. भट्ट, अध्यक्ष
2. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक
3. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक

3.4 Related Party Disclosures: As identified and compiled by the management and relied upon by the auditors

3.4.1 Related Parties to the Group:

A) JOINT VENTURES:

1. GE Capital Business Process Management Services Private Limited.
2. C Edge Technologies Ltd.
3. SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.
4. SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.
5. Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.
6. Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.

B) ASSOCIATES:

i) Regional Rural Banks

1. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank
2. Arunachal Pradesh Rural Bank
3. Cauvery Kalpatharu Grameena Bank
4. Chhatisgarh Gramin Bank
5. Deccan Grameena Bank
6. Ellaquai Dehati Bank
7. Meghalaya Rural Bank
8. Krishna Grameena Bank
9. Langpi Dehangi Rural Bank
10. Madhya Bharat Gramin Bank
11. Malwa Gramin Bank
12. Marwar Ganganagar Bikaner Bank
13. Mizoram Rural Bank
14. Nagaland Rural Bank
15. Parvatiya Gramin Bank
16. Purvanchal Kshetriya Gramin Bank
17. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
18. Saurashtra Grameena Bank
19. Utkal Gramya Bank
20. Uttaranchal Gramin Bank
21. Vananchal Gramin Bank
22. Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank

ii) Others

23. The Clearing Corporation of India Ltd
24. Nepal SBI Bank Ltd. (upto 13.06.2009)
25. Bank of Bhutan Ltd
26. UTI Asset Management Company Pvt. Ltd (upto 19.01.2010).
27. S. S. Ventures Services Pvt Ltd
28. SBI Home Finance Ltd

C) Key Management Personnel of the Bank:

1. Shri O. P. Bhatt, Chairman
2. Shri S. K. Bhattacharyya, Managing Director
3. Shri R. Sridharan, Managing Director



**3.4.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेनदेन किए गए:**

लेखा मानक (एस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार - नियंत्रित उद्यम' के रूप में संबंधित पक्ष लेनदेनों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। अन्य विवरण निम्नानुसार है :

1. सी-एज टेकनोलॉजीज लि.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.
3. एसबीआई मैक्वाअरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. एसबीआई मैक्वाअरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
5. मैक्वाअरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. मैक्वाअरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. बैंक ऑफ भूटान लि.
8. नेपाल एसबीआई बैंक लि. (13.06.2009 तक)
9. एस. एस. वेंचर्स सर्विसेस लिमिटेड
10. एसबीआई होम फाइनेंस लि.
11. श्री ओ.पी. भट्ट, अध्यक्ष
12. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक
13. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक

3.4.3. लेनदेन/शेष राशियाँ:

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक@	योग
जमा-राशियाँ #	112.99 (92.58)	— (0.69)	112.99 (93.27)
अन्य देयताएँ #	21.94 (50.39)	— (0.26)	21.94 (50.65)
विनिधान #	26.94 (21.80)	— (—)	26.94 (21.80)
अन्य आस्तियाँ #	— (—)	— (—)	— (—)
संदत ब्याज \$	4.00 (2.71)	— (—)	4.00 (2.71)
प्राप्त ब्याज \$	— (—)	— (—)	— (—)
लाभांश के रूप में अर्जित आय \$	5.96 (1.89)	— (—)	5.96 (1.89)
प्रदत्त सेवाएँ \$	0.05 (2.61)	— (—)	0.05 (2.61)
प्राप्त सेवाएँ \$	144.48 (150.43)	— (—)	144.48 (150.43)
प्रबंधन संविदाएँ \$	146.83 (—)	0.63 (0.38)	147.46 (0.38)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया राशियाँ

\$ वर्ष के लेनदेन

@ ऐसे लेनदेन जो बैंकर और ग्राहक के संबंधों की प्रकृति के नहीं हैं।

3.4.2 Related Parties with whom transactions were entered into during the year:

No disclosure is required in respect of transactions with related parties which are "state controlled enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed in respect of Key Management Personnel. Other particulars are:

1. C Edge Technologies Ltd.
2. GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.
3. SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.
4. SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.
5. Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.
6. Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.
7. Bank of Bhutan Ltd
8. Nepal SBI Bank Ltd. (upto 13.06.2009)
9. S. S. Ventures Services Ltd
10. SBI Home Finance Ltd
11. Shri O. P. Bhatt, Chairman
12. Shri S. K. Bhattacharyya, Managing Director
13. Shri R.Sridharan, Managing Director

3.4.3 Transactions / Balances:

Items	Associates/ Joint Ventures	Key Man- agement Personnel @	Total
Deposit#	112.99 (92.58)	— (—)	112.99 (92.58)
Other Liability#	21.94 (50.39)	— (—)	21.94 (50.39)
Investments#	26.94 (21.80)	— (—)	26.94 (21.80)
Other Assets #	— (—)	— (—)	— (—)
Interest paid \$	4.00 (2.71)	— (—)	4.00 (2.71)
Interest received \$	— (—)	— (—)	— (—)
Income earned by way of Dividend \$	5.96 (1.89)	— (—)	5.96 (1.89)
Rendering of services \$	0.05 (2.61)	— (—)	0.05 (2.61)
Receiving of services \$	144.48 (150.43)	— (—)	144.48 (150.43)
Management Contract \$	146.83 (—)	0.63 (0.38)	147.46 (0.38)

(Figures in brackets pertain to previous year)

Balances as at 31st March

\$ Transactions for the year

@ Transactions which are not in the nature of banker-customer relationship.



3.5 पट्टे :**वित्तीय पट्टे**

1 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है।

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पट्टों में किए गए कुल सकल विनिधान	—	37.09
प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य		
1 वर्ष से कम	—	6.48
1 से 5 वर्ष तक	—	—
5 वर्ष और उससे अधिक	—	—
योग	—	6.48
अनर्जित वित्त आय का वर्तमान मूल्य	—	0.28

परिचालन पट्टा *

क. 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार परिचालन पट्टे पर लिए गए कार्यालय परिसर / स्टाफ क्वार्टर्स

i.	देय न्यूनतम पट्टा किराया	(रुपए करोड़ में)
	क. एक वर्ष अर्थात् 2010-11 में देय	73.67
	ख. एक वर्ष के बाद किंतु 5 वर्ष के बाद नहीं अर्थात् 2011-12 से 2014-15 में देय	170.38
	ग. 5 वर्ष के बाद अर्थात् 2014-15 के बाद देय	51.12

ii. वर्ष के दौरान व्यय खाते में नामे की गई पट्टा व्यय की राशि 78.25

iii. पट्टा करारों में रद्द नहीं होने वाली पट्टा अवधि के अंत में समूह के लिए पट्टा अवधि के नवीकरण के विकल्प की व्यवस्था है। पट्टा करारों में कोई अपवादात्मक प्रतिबंधित प्रसंविदाएं नहीं हैं।

ख. 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार परिचालन पट्टे पर दिए गए परिसर

i.	प्राप्य न्यूनतम पट्टा किराया	(रुपए करोड़ में)
	क. एक वर्ष के बाद नहीं अर्थात् 2010-11 में प्राप्य	शून्य
	ख. एक वर्ष के बाद किंतु 5 वर्ष अर्थात् 2011-12 से 2014-15 में प्राप्य	0.20
	ग. 5 वर्ष के बाद अर्थात् 2014-15 के बाद प्राप्य	शून्य

ii	विवरण	मूल लागत	31.03.2010 को संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास
	पट्टे पर दिए गए परिसर	0.54	0.20	0.04

3.5 Leases:**Finance Leases**

Assets given on Financial Leases on or after 1st April 2001: The details of financial leases are given below.

	Current Year	Previous Year
Total gross investment in the leases	—	37.09
Present value of minimum lease payments receivable		
Less than 1 year	—	6.48
1 to 5 years	—	—
5 years and above	—	—
Total	—	6.48
Present value of unearned finance income	—	0.28

Operating Lease*

A. Office Premises/Staff Quarters taken on Operating Lease as on 31st March 2010

i.	Minimum Lease Rent Payable	(Rs in Crore)
	a. Payable not later than 1 year i.e. 2010-11	73.67
	b. Payable later than 1 year and not later than 5 years i.e. 2011-12 to 2014-15	170.38
	c. Payable later than 5 years i.e. after 2014-15	51.12

ii. Amount of lease charges debited to charges account during the year 78.25

iii. The lease agreements provide for an option to the group to renew the lease period at the end of non-cancellable period. There are no exceptional/restrictive covenants in the lease agreements.

B. Premises given on Operating Leases as on 31st March 2010

i.	Minimum Lease Rental Receivable	(Rs in Crore)
	a. Receivable not later than 1 year i.e. 2010-11	Nil
	b. Receivable later than 1 year and not later than 5 years i.e. 2011-12 to 2014-15	0.20
	c. Receivable later than 5 years i.e. after 2014-15	Nil

ii	Particulars	Original Cost	Accumulated Depreciation as on 31.03.2010	Depreciation for the year
	Premises given on lease	0.54	0.20	0.04



iii लाभ और हानि खाते में कोई आकस्मिक किराया शामिल नहीं किया गया है।

* केवल रद्द नहीं होनेवाले पट्टे के संबंध में

3.6 प्रति शेयर उपार्जन:

बैंक ने लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर उपार्जन' के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर के पश्चात् निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर 'मूल आय' की गणना की गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की सं.	63,48,80,626	63,44,13,120
कम की गई प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	63,48,80,626	63,44,13,120
निवल लाभ (अल्पांश को छोड़कर) (करोड़ में)	11733.83	10955.29
प्रति शेयर मूल आय (रु.)	184.82	172.68
कम की गई प्रति शेयर आय (रु.)	184.82	172.68
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (रु.)	10.00	10.00

3.7 आय पर करों का लेखाकरण

- वर्ष के दौरान, आस्थगित कर समायोजन के द्वारा रु. 1315.71 करोड़ [पिछले वर्ष रु. 1075.97 करोड़] लाभ और हानि खाते में जमा किए गए।
- प्रमुख मदों में आस्ति और देयता का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

विवरण	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	310.73	454.78
एक्जिट विकल्प के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान	52.57	100.21
वेतन संशोधन	1837.31	769.19
ग्रैच्युटी, अवकाश, पेंशन आदि के लिए प्रावधान	1462.44	1214.24
अन्य	846.56	461.39
योग	4509.61	2999.81
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	32.46	119.62
प्रतिभूतियों पर ब्याज	611.65	595.42
अन्य	431.92	276.76
योग	1076.03	991.80
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/ (देयताएँ)	3433.58	2008.01

iii No contingent rents have been recognised in the Profit & Loss Account.

* In respect of Non-Cancellable lease only.

3.6 Earnings per Share:

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing consolidated net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Particulars	Current Year	Previous Year
Basic and diluted		
Weighted average no of equity shares used in computing basic earning per share	63,48,80,626	63,44,13,120
Weighted average number of shares used in computing diluted earning per share	63,48,80,626	63,44,13,120
Net profit (Other than minority) (in Crore)	11733.83	10955.29
Basic earnings per share (Rs.)	184.82	172.68
Diluted earnings per share (Rs.)	184.82	172.68
Nominal value per share (Rs.)	10.00	10.00

3.7 Accounting for taxes on Income

- During the year, Rs. 1315.71 Crore [Previous Year Rs. 1075.97 Crore] has been credited to Profit and Loss Account by way of adjustment of deferred tax.
- The break up of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

Particulars	As at 31-Mar 2010	As at 31-Mar 2009
Deferred Tax Assets		
Provision for non performing assets	310.73	454.78
Ex-gratia paid under Exit option	52.57	100.21
Wage Revision	1837.31	769.19
Provision for Gratuity, Leave, Pension etc.	1462.44	1214.24
Others	846.56	461.39
Total	4509.61	2999.81
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on Fixed Assets	32.46	119.62
Interest on securities	611.65	595.42
OTHERS	431.92	276.76
Total	1076.03	991.80
Net Deferred Tax Assets/(Liabilities)	3433.58	2008.01



**3.8 संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में विनिधान:****Investments in jointly controlled entities:**

लेखा मानक 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income and expenses related to the group's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

विवरण / Particulars	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2010	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2009
दायित्व / Liabilities		
पूंजी और आरक्षितियाँ / Capital & Reserves	81.49	70.34
जमा राशियाँ / Deposits	—	—
उधार राशियाँ / Borrowings	0.40	0.26
अन्य दायित्व एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	62.92	28.65
योग / TOTAL	144.81	99.25
आस्तियाँ / Assets		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा राशियाँ Cash and balances with Reserve Bank of India	0.05	0.01
बैंकों के पास जमा राशियाँ और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at call and short notice	28.77	21.44
विनिधान / Investments	1.62	3.52
अग्रिम / Advances	—	—
अचल आस्तियाँ / Fixed Assets	11.50	11.20
अन्य आस्तियाँ / Other Assets	102.87	63.08
योग / TOTAL	144.81	99.25
पूंजीगत वायदे / Capital Commitments	शून्य/Nil	शून्य/Nil
अन्य आकस्मिक देयताएं / Other Contingent Liabilities	0.04	Nil/शून्य
आय / Income		
उपाजित ब्याज / Interest earned	3.60	—
अन्य आय / Other income	78.49	51.47
कुल व्यय / Total Expenditure	82.09	51.47
व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	—	—
परिचालन व्यय / Operating expenses	68.77	41.31
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & contingencies	6.28	4.23
कुल / Total	75.05	45.54
लाभ / Profit	7.04	5.93



**3.9 आस्तियों की अपसामान्यता:**

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू हो।

3.10 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ**क) प्रावधानों का अलग-अलग विवरण:**

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) आयकर (वर्तमान कर) के लिए प्रावधान	7980.75	7598.23
ख) आयकर (आस्थगित कर आस्ति) के लिए प्रावधान	(1315.71)	(1075.97)
ग) अनुषंगी लाभ कर	—	174.64
घ) अन्य करों के लिए प्रावधान	3.34	24.87
ड) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान राशि (प्रतिलेखन प्रावधान के साथ)	6228.77	3616.30
च) वैश्विक ऋण संविभाग में मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधान	152.67	304.83
छ) भारत और भारत के बाहर विनिधानों में मूल्यहास	(1355.10)	1352.77
ज) अन्य (प्रतिलेखन को छोड़कर)	1090.57	726.17
कुल	12785.29	12721.84

(कोष्ठक के आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं।)

ख) अस्थिर प्रावधान:

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अथशेष	514.64	685.04
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	163.42	155.60
ग) वर्ष के दौरान आहरण में कमी	32.89	326.00
घ) इतिशेष	645.17	514.64

3.9 Impairment of assets:

In the opinion of the Bank's Management, there is no impairment to the assets to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

3.10 Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets**a) Break up of provisions:**

	Current Year	Previous Year
a) Provision for Income Tax (current tax)	7980.75	7598.23
b) Provision for Income Tax (deferred tax asset)	(1315.71)	(1075.97)
c) Fringe Benefit Tax	—	174.64
d) Provision for other taxes	3.34	24.87
e) Amount of provision made against NPAs (including write back of provision)	6228.77	3616.30
f) General provision on Standard Assets in the global loan portfolio	152.67	304.83
g) Depreciation in the value of Investments in India and Outside India	(1355.10)	1352.77
h) Others (Net of write-backs)	1090.57	726.17
Total	12785.29	12721.84

(Figures in brackets indicate credit)

b) Floating provisions:

	Current Year	Previous Year
a) Opening Balance	514.64	685.04
b) Addition during the year	163.42	155.60
c) Draw down during the year	32.89	326.00
d) Closing balance	645.17	514.64





ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण:

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष हैं। समूह को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा।
2	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपने निजी खाने और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। वायदा विनिमय संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनिमयों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज / मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनिमय की प्रतिबद्धताएँ अचल विनिमय एवं अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ हैं।
3	ग्राहकों, बिलों एवं हंडियों, परांकों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यवाहियों के अंतर्गत समूह अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका धुगतान करेगा।
4	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का एक पक्ष है। समूह की ओर से इन पर प्रतिवाद किया जा रहा है और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पुनः समूह ने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में शेरों का अभिदान करने के वायदे किए हैं।

घ) उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट के निर्णय / न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यताएँ, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने जैसी भी स्थिति हो, के दायित्व पर आधारित हैं।

ङ) आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों का उतार-चढ़ाव :

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अथशेष	303.95	238.34
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	215.30	108.14
ग) वर्ष के दौरान आहरण में कमी	25.99	42.53
घ) इतिशेष	493.26	303.95

4. **विचाराधीन वेतन करार :** सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ द्वारा ऑल इंडिया यूनियन्स ऑफ वर्कमैन के साथ किया गया आठवाँ द्विपक्षीय समझौता 31 अक्टूबर 2007 को समाप्त हो गया। नया करार 27 अप्रैल 2010 को निष्पादित किया गया जो अधिकारियों

c) Description of contingent liabilities and contingent assets:

Sr. No	Items	Brief Description
1	Claims against the Group not acknowledged as debts	The parent and its constituents are parties to various proceedings in the normal course of business. It does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Group's financial conditions, results of operations or cash flows.
2	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Group enters into foreign exchange contracts, currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter-bank participants on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on predetermined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts.
3	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial banking activities, the Group issues documentary credits and guarantees on behalf of its customers. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Group. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
4	Other items for which the Group is contingently liable	The Group is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These are being contested by the Group and not provided for. Further the Group has made commitments to subscribe to shares in the normal course of business.

d) The contingent liabilities mentioned above are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be.

e) Movement of provisions against contingent liabilities:

	Current Year	Previous Year
a) Opening Balance	303.95	238.34
b) Addition during the year	215.30	108.14
c) Draw down during the year	25.99	42.53
d) Closing balance	493.26	303.95

4. **Pending Wage Agreement:** The Eighth Bipartite Settlement entered into by the Indian Banks' Association on behalf of the member Banks with the All India Unions of Workmen expired on 31st October 2007.





और कर्मचारियों दोनों के लिए 01 नवंबर 2007 से लागू होगा। केंद्र सरकार से विधिवत अनुमोदन के पश्चात संशोधनों और बैंक द्वारा की जाने वाली ब्योरेवार गणना के संबंध में भारतीय बैंक संघ से ब्योरेवार परिपत्र प्राप्त न होने के कारण वर्ष के दौरान रु. 3076.29 करोड़ (31.03.2009 तक रु. 2372.54 करोड़) का प्रावधान किया गया है। वेतन संशोधन के कारण 31 मार्च 2010 तक किए गए प्रावधान की कुल राशि रु. 5448.83 करोड़ है।

5. कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना 2008

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना 2008 के अनुसार, केन्द्र सरकार से ऋण माफी के कारण प्राप्य राशि रु. 5963.44 करोड़ (प्राप्तियाँ घटाने के बाद) और ऋण राहत के कारण प्राप्य राशि रु. 1537.04 करोड़ (प्राप्तियाँ घटाने के बाद) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र के साथ पठित योजना के अनुसार अग्रिम के भाग के रूप में माना गया है।

6. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी क्रमांक बीपी.बीसी. 42/21.01.02/2007-08 के निदेशानुसार रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों को देयता माना गया है और उन पर भुगतान किए जाने वाले कूपन को ब्याज माना गया है।
7. आइसीएआइ द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए - समेकित वित्तीय विवरण की यथातथ्यता और उपयुक्तता पर कोई प्रभाव न होने के कारण उसमें - मूल कंपनी और अनुषंगियों के अलग वित्तीय विवरणों में उल्लिखित ऐसी सांविधिक सूचनाओं का जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, यहां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
8. जहां भी आवश्यक और संभव था विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुल्य बनाने के लिए पुनर्समूहित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है। ऐसे मामलों में जहां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किए गए हैं - पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

(श्री आर. श्रीधरन)

(Shri R. Sridharan)

प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां)
Managing Director and GE (A&S)

(श्री एस. के. भट्टाचार्य)

(Shri S. K. Bhattacharyya)

प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी
Managing Director & Chief Credit and Risk Officer

(श्री ओ. पी. भट्ट)

(Shri O. P. Bhatt)

अध्यक्ष
Chairman

The New Agreement has been executed on 27th April, 2010 to be effective from 1st November, 2007 for workers as well as for officers. Pending receipt of detailed Circular from IBA regarding revisions after due approval from the Central Government and detailed computations to be carried out by the Bank, a provision of Rs.3076.29 Crore has been made during the year (Rs.2372.54 Crore upto 31.03.2009). The total provision held on account of wage revision as on 31st March, 2010 is Rs.5448.83 Crore.

5. Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008

As per the Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008, the amount receivable from the Central Government on account of debt waiver being Rs.5963.44 Crore (net of receipt) and on account of debt relief being Rs.1537.04 Crore (net of receipt) are treated as part of advances in accordance with the scheme read with Circular issued by RBI.

6. In accordance with RBI circular DBOD NO.BP.BC.42/21.01.02/2007-08 redeemable preference shares are treated as liabilities and the coupon payable thereon is treated as interest.
7. Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the general clarifications issued by ICAI.
8. Previous year's figures have been regrouped and reclassified, wherever necessary and determinable, to make them comparable with current year's figures. In cases where disclosures have been made for first time in terms of RBI guidelines/Accounting Standards, previous year figures have not been mentioned.

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

In terms of our Report of even date

कृते ए. के. साबत एण्ड कंपनी

For A. K. Sabat & Co.,

सनदी लेखाकर

Chartered Accountants

(ए. के. साबत)

(A. K. Sabat)

भागीदार

Partner

सदस्यता क्रमांक / M.No. 030310

फर्म पंजीकरण सं. / Firm Registration No. 321012E

कोलकाता, 14 मई, 2010

Kolkata, 14th May 2010





भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) STATE BANK OF INDIA (CONSOLIDATED)

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
	₹. Rs.	₹. Rs.
I. परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	1622,74,28	31169,96,16
II. विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(1344,61,47)	(1630,89,34)
III. वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	(3272,61,32)	4500,72,69
IV. विनिमय घट-बढ़ नकदी प्रवाह CASH FLOW ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION	(418,21,12)	2193,48,35
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	(3412,69,63)	36233,27,86
V. नकदी एवं नकदी समतुल्य - वर्ष के आरंभ में CASH AND CASH EQUIVALENTS - OPENING	125261,69,56	89028,41,70
VI. नकदी एवं नकदी समतुल्य - वर्ष के अंत में CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING	121848,99,93	125261,69,56
I. परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before taxes	18402,21,30	17677,05,43
समायोजन ADJUSTMENT FOR:		
मूल्यह्रास शुल्क Depreciation charge	1321,56,46	924,46,18
स्थिर आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल) (Profit)/Loss on sale of fixed assets (Net)	9,94,81	4,20,67
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for NPAs	6228,77,13	3616,30,20
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Standard Assets	152,67,07	304,82,54
भारत में निवेशों पर मूल्यह्रास Depreciation on Investments in India	(1243,27,73)	1058,11,27
भारत के बाहर निवेशों पर मूल्यह्रास Depreciation on Investments Outside India	(111,82,57)	294,65,42
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल) (Profit)/Loss on sale of investments (Net)	(4930,43,83)	(1758,03,89)
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (Profit)/Loss on revaluation of investments	(3022,98,14)	629,25,09
अन्य आस्तियों पर प्रावधान Provision on other assets	129,13,12	51,38,94
अन्य प्रावधान Other Provisions	961,43,45	674,79,65
वर्ष के दौरान अपलिखित आस्थगित आय खर्च Deferred Revenue Expenditure written off during the year	6,90,26	5,83,24
बांडों पर संदत्त ब्याज (वित्तीय कार्यकलाप) Interest paid on Bonds (Financing Activity)	3520,54,39	2797,09,40
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश/अर्जित आय (निवेश कार्यकलाप) Dividend/Earnings from Associates (Investing activity)	(229,52,26)	53,63
घटाएं : प्रत्यक्ष-कर Less : Direct Taxes	(8444,43,35)	(7764,81,41)
	12750,70,11	18515,66,36
समायोजन Adjustment for:		
जमा राशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Deposits	104476,23,82	235571,80,75
उधार राशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Borrowings	14032,55,34	(9764,95,86)
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Investments	(21761,95,20)	(98472,70,24)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Advances	(125368,02,88)	(150756,74,61)



(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	14131,77,63	30323,16,05
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Other Assets	3361,45,46	5753,73,71
परिचालन कार्यकलाप से उपलब्ध निवल नकदी		
NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES	1622,74,28	31169,96,16
II. विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Investments in Associates	547,79,04	(141,00,08)
ऐसे विनिधानों पर अर्जित आय Income earned on such Investments	229,52,25	(53,63)
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Fixed Assets	(2121,92,76)	(1489,35,63)
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी		
NET CASH PROVIDED BY INVESTING ACTIVITIES	(1344,61,47)	(1630,89,34)
III. वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
शेयर पूंजी Share Capital	24	3,40,98
शेयर प्रीमियम Share Premium	38,26	558,95,77
बांड इश्यू Issue of Bonds	3437,46,26	8373,43,21
गौण बांड प्रतिसंदाय Repayment of Subordinated Bonds	(289,00,00)	(40,00,00)
बांडों पर संदत्त ब्याज Interest Paid on Bonds	(3520,54,39)	(2797,09,40)
संदत्त लाभांश उस पर कर सहित Dividends Paid including tax thereon	(2821,38,33)	(1532,11,70)
अनुषंगियों द्वारा संदत्त लाभांश Dividends tax Paid by subsidiaries	(79,53,36)	(65,86,17)
वित्तीय कार्यकलाप द्वारा प्रदत्त निवल नकदी		
NET CASH PROVIDED BY FINANCING ACTIVITIES	(3272,61,32)	4500,72,69
IV. विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण नकदी प्रवाह		
CASH FLOW ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION		
विदेशी अनुषंगियों की आरक्षितियां Reserves of Foreign Subsidiaries	(54,32,29)	1530,98,35
अन्य-विदेशी मुद्रा बांडों का पुनर्मूल्यन Others-Revaluation of foreign currency bonds	(363,88,83)	662,50,00
विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण निवल नकदी प्रवाह		
Net Cashflows on A/C of Exchange Fluctuation	(418,21,12)	2193,48,35



(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
V. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य CASH AND CASH EQUIVALENTS - OPENING		
हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित है) Cash in hand (including FC notes & gold)	5462,49,27	3791,06,09
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशियाँ Balances with Reserve Bank of India	68698,57,39	71026,19,45
बैंकों में जमा राशियाँ तथा मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियाँ Balances with Banks & MACSN	51100,62,90	14211,16,16
योग TOTAL	125261,69,56	89028,41,70
VI. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING		
हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित है) Cash in hand (including FC notes & gold)	8657,22,06	5462,49,27
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशियाँ Balances with Reserve Bank of India	73538,36,00	68698,57,39
बैंकों में जमा राशियाँ तथा मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियाँ Balances with Banks & MACSN	39653,41,87	51100,62,90
योग TOTAL	121848,99,93	125261,69,56





समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक बोर्ड को

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों (इस समूह) की 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण का परीक्षण किया है इनमें :
 - i. हमारे सहित 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित बैंक के खाते,
 - ii. अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 27 (सत्ताईस) अनुषंगियों, 25 (पच्चीस) सहयोगियों और 6 (छह) संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षित खाते,
 - iii. 2(दो) अनुषंगियों, और 1(एक) सहयोगी के अलेखापरीक्षित खाते।

ये समेकित वित्तीय विवरण बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं और ये अलग अलग वित्तीय विवरणों और समूह की भिन्न इकाइयों से संबंधित अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं। हमारी जिम्मेदारी, अपने लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।
2. हमने अपना लेखा-परीक्षा-कार्य भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और उसे इस प्रकार निष्पादित करें, जिससे हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरण हर तरह से निर्धारित रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार तैयार किए गए हैं, इसमें विषय - वस्तु संबंधी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं। लेखा-परीक्षा में राशि के समर्थन और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण संबंधी साक्ष्यों की नमूना-परीक्षण आधार पर जाँच सम्मिलित है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा-परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करता है।
3. हमने 13 अन्य संयुक्त लेखा परीक्षकों के साथ बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2010 को रु. 10,53,414 करोड़ की कुल आस्तियाँ और रु. 85,962 करोड़ की कुल आय और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु. 6,926 करोड़ की राशि के निवल नकदी प्रवाह दिखाए गए हैं।
4. हमने इनकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनमें 31 मार्च 2010 को रु. 4,10,201 करोड़ की कुल आस्तियाँ और रु. 49,192 करोड़

AUDITOR'S REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TO THE BOARD OF DIRECTORS, STATE BANK OF INDIA

1. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of State Bank of India (the Bank), its subsidiaries, associates and joint ventures (the Group) as at 31st March 2010, and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended in which are incorporated the:
 - i. Audited accounts of the Bank audited by 14 (fourteen) Joint Auditors including us,
 - ii. Audited accounts of 27 (twenty seven) subsidiaries, 25 (twenty five) Associates and 6 (six) joint ventures audited by other auditors,
 - iii. Unaudited accounts of 2(two) subsidiaries and 1(one) associate.

These Consolidated financial statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information of the different entities in the Group. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material aspects in accordance with identified reporting framework and free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We have jointly audited the financial statements of the Bank along with 13 other joint auditors, whose financial statements reflect total assets of Rs. 10,53,414 Crore as at 31st March 2010, and total revenue of Rs. 85,962 Crore and net cash outflows amounting to Rs. 6,926 Crore for the year then ended.
4. We did not audit the financial statements of its Subsidiaries, Associates and Joint Ventures whose financial statements reflect total assets of Rs. 4,10,201 Crore as at 31st March 2010, and total





- की कुल आय और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु. 5,433 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह दिखाए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई हैं और जहां तक अन्य इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों का सवाल है, उनके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है।
5. हमने 2 (दो) अनुषंगियों, और 1 (एक) सहयोगी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च 2010 को रु. 3,326 करोड़ की कुल आस्तियाँ, रु. 130 करोड़ की कुल आय और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के रु. 67 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह प्रदर्शित किए गए हैं, को भी अपनी लेखा परीक्षा में शामिल किया है।
6. हम रिपोर्ट करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों को, बैंक प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-21-"समेकित वित्तीय विवरण", लेखा मानक-23 "समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश का लेखा" और लेखा मानक-27- "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्ट" के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है।
7. अपनी लेखा परीक्षा और भिन्न-भिन्न वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उसके घटकों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारा विचार है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण - भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-परीक्षा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है:
- क. 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन पत्र;
- ख. इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ और हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में;
- ग. इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।
- revenue of Rs. 49,192 Crore and net cash flows amounting to Rs. 5,433 Crore for the year then ended. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of other entities, are based solely on the report of the other auditors.
5. We have also relied on the un-audited financial statements of 2 (two) subsidiaries and 1 (one) associate, whose financial statements reflect total assets of Rs. 3,326 Crore as at 31st March 2010, total revenue of Rs. 130 Crore and net cash flows amounting to Rs. 67 Crore for the year then ended.
6. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank's management in accordance with the requirement of Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 - "Accounting for investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27- "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of Reserve Bank of India.
7. Based on our audit and consideration of report of other auditors on separate financial statements and on consideration of the unaudited financial statements and on the other financial information of the components, and to the best of our information and explanations given to us we are of the opinion that the attached Consolidated Financial Statements, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- a. in the case of the Consolidated Balance Sheet on the state of affairs of the Group as at 31st March 2010;
- b. in the case of the Consolidated Profit and Loss account of the consolidated profit of the Group for the year ended on that date; and
- c. in the case of the Consolidated Cash Flow Statement of the Cash Flows of the Group for the year ended on that date.

कृते ए. के. साबत एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. के. साबत
(भागीदार)

सदस्यता सं. : 030310
फर्म पंजीकरण सं. 321012E

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 14 मई 2010

For A. K. Sabat & Co.
Chartered Accountants

A. K. Sabat
(Partner)

Membership No. : 030310
Firm Registration No. 321012E

Place : Kolkata
Dated : 14th May 2010

